

HARYANA VIDHAN SABHA

DEBATES

21st June, 1967

(Morning Sitting)

Vol.1-No. 21

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Wednesday, the 21st June, 1967

	Pages
Starred Questions and Answers	(21)1-20
Unstarred Question and Answer	(21)21-30
Demands for Grants –	
(i) Discussion on Government Demands for Grants	(21)31-54
(ii) Voting on Government Demands for Grants	(21)54-60
Second Sitting of the Vidhan Sabha	(21)60-63

ERRATA

TO

HARYANA VIDHAN SABHA DEBATE, Vol.1, No. 21,

Dated The 21st June, 1967 (Morning Sitting)

Read	For	Page	Line
अखबार	अखबरा	(21)6	3 rd from below
Delete the word 'to' between the words 'was' and 'referred'		(21)10	30/31
Delete the word है after the word जाएगा		(21)12	5
Year	Yer	(21)15	20
अब	बअ	(21)20	Last
घग्गर	वग्गर	(21)34	18
मामले	ममल	(21)34	21

भिंडवास	भिडतास	(21)35	12
देने	दे	(21)35	13
भिंडवास	भिडवास	(21)36	13
स्माल	स्पाल	(21)36	24
थी	की	(21)37	14
गरीब	गरीब	(21)42	7
अलोक	लोक	(21)42	19
तो	त	(21)42	25
लेकिन	लकिन	(21)42	26
लेकिन	लकिन	(21)42	29
बनाने	बनाने	(21)43	2
बनते	बनते	(21)43	34
स्कूलों	स्कलो	(21)44	Last
टयूबवैलज	टयूबवैरुज	(21)45	11
टयूबवैलज	टयबवैलज	(21)47	11

कर दें	कर	(21)47	12
दे खते	खते	(21)47	16
सारे	स	(21)47	25
बढोतरी	बढोतीर	(21)47	35
दे		(21)48	21
मेरे	मरे	(21)48	30
मैं	म	(21)49	16
पैसा	प्सा	(21)51	2
जागृत	जगत	(21)53	26

HARYANA VIDHAN SABHA

Wednesday, the 21st June, 1967

(Morning Sitting)

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhavan, Sector-1, Chandigarh at 9.00 a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Chaudhari Sri Chand) in the Chair.

STARRED QUESTION AND ANSWER

Travelling Allowance drawn by the Ministers

***355. Smt. Sneh Lata:** Will the Chief Minister be pleased to state -

(a) the traveling allowance drawn by each Minister during the last two months since the present Ministry took office:

(b) the number of Ministers who visited Bahadurgarh constituency at public expense?

Rao Birendra Singh: (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) Nine.

STATEMENT

Statement showing the amount of Travelling Allowance so far drawn by the Chief Minister/Ministers/State Ministers/Deputy Ministers for journeys during the month of April and May, 1967 :-

Serial No.	Name of the Minister	April, 1967	May, 1967
	MINISTERS		
1.	Rao Birendra Singh, C.M.	Nil	Nil
2.	Sh. Chand Ram, D.C.M.	Do	Do
3.	Sh. Mool Chand Jain,	450.00	Do

	F.M.		
4.	Sh. Hardwari Lal, E.M.	500.00	Do
5.	Sh. Partap Singh Daulra, D.M.	406.25	Do
6.	Sh. Shreyo Nath, H.M.	412.50	Do
		(Bill prepared but not drawn)	
7	Sh. Mani Ram Godara, I.P.M.	331.25	Nil
8	Sh. Lachman Singh, T.M.	375.00	Do
9	Sh. Harpal Singh, L.G.M.	350.00	Do
	MINISTERS OF STATE		
1.	Sh. Multan Singh, M.C.	537.50	Do
2.	Sh. Phool Chand, M.P.W.	487.50	Do
3.	Sh. Amir Singh, M.R.E.	450.00	Do
4.	Sh. Shamsher Singh, M.D.	425.00	Do
	DEPUTY MINISTERS		

1.	Sh. Jaswant Singh, D.M.H.	337.50	Do
2.	Sh. Ram Parshad, D.M.P.W.	300.00	Do

श्री दया कृष्ण: क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि मिनिस्टरों को जो भत्ते दिये जाते हैं उनका कुछ माहवारों भत्ते को हद मुकरर होती है?

मुख्यमन्त्री: जो नहीं।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: पार्ट 'बी' के जवाब में बताया कि कोई नहीं तो बहादुरगढ़ के बाई-इलैक्शन में ...

मुख्यमन्त्री: मैंने कहा 'नो' आपने सुना नहीं।

श्री ओम प्रकाश: क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि बहादुरगढ़ के इलैक्शन में जो मिनिस्टर गये थे क्या उन्होंने भत्ता नहीं लिया और वे छुट्टी लेकर गये थे और क्या उन्होंने उस पोरियड को तनखाह भी नहीं ली?

मुख्यमन्त्री: मिनिस्टर खुद सरकार होते हैं उनको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं होती।

Allocation of Employees of erstwhile Punjab State

***267. Chaudhri Rizaq Ram:** Will the Chief Minister be pleased to state ----

(a) the total number of employees in the erstwhile State of Punjab;

(b) the number of employees allocated to the Haryana State on Re-organisation;

(c) the total amount of monthly salary payable to the Haryana State employees?

Rao Birendra Singh: (a) About three lakhs.

(b) 77969. These represent the number of employees in the service of Haryana Government on 1st March, 1967 and do not include the employees working in the Vidhan Sabha Secretariat and four Police Battalions raised solely for and on deputation to the Government of India. There is not likely to be much difference between these figures and the number of employees allocated to Haryana on reorganization.

(c) About Rs. 170 lakhs.

चौधरी रिजक राम: क्या मुख्यमंत्री जी बातयेंगे कि यह जो 77 हजार के करीब एम्पलाईज स्टेट में हैं, क्या गवर्नमैण्ट ने इस चीज को एग्जामिन किया है कि एम्पलाईज की तादाद ज्यादा है या कम?

मुख्यमंत्री: इन सारी चीजों को देख रहे हैं और हम कम करने को कोशिश भी कर रहे हैं।

**Representations of Government Employees against their
Allocation**

***268. Chaudhri Rizaq Ram.:** Will the Chief Minister be pleased of state -

(a) the total number of representations made by the Government employees against their allocations to Haryana State and Punjab State or Himachal Pradesh State:

(b) the number of such representations disposed of so far;

(c) the number of officers re-allocated to Haryana State as a result of the said representations?

No. 13268-RN II 67/16980

From

The Chief Secretary to Government, Haryana.

(Re-organisation) Chandigarh.

To

The Secretary,

Vidhan Sabha Secretariat,

CHANDIGARH.

Dated Chandigarh, the 4th September, 1967

Subject- Representation of Government employee against their allocation starred Question No. 268.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. 12044Q/196, dated 29th August, 1967 on the above subject and to say that the requisite information is being collected.

Yours faithfully,

Sd. Section Officer.

Re-organisation II,

for Chief Secretary to Government.

Haryana

People's Grievances and Public Complaints

***356. Smt. Sneh Lata:** Will the Chief Minister be pleased to state -

(a) the machinery, if any, set up to remove people's grievances and public complaints;

(b) the arrangements, if any, made to attend to the complaints of people at a level other than the Minister?

Rao Birendra Singh: (a) The District Public relations and Grievances Committees have been reconstituted in each district to remove public grievances.

(b) (i) Each Deputy Commissioner and each Head of Office at the district level has been addressed to hear and receive complaints from the Public in an open meeting on the first Monday of every month and to dispose of them suitably at the earliest.

(ii) At the Headquarters level at Chandigarh a Directorate of Grievances has been set up to deal with public complaints.

श्रीमती स्नेह लता: क्या सरकार आपोजीशन के मैम्बरों के ग्रोवेंसिज भी सुनेगी?

मुख्यमंत्री: जरूर, आपके तो जरूर सुनेगी, और के चाहे न भी सुने।

Industrial Area in Karnal

***343. Chaudhri Ram Lal:** Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether any area in Karnal has been declared as industrial area; if so, when:

(b) whether any Scheme has been formulated to acquire land for the said industrial area; if so, the area of land proposed to be acquired for the purpose together with the location thereof ?

Rao Birendra Singh: (a) Yes, in the year 1964.

(b) Land measuring 9 acres 5 marlas was acruired in the year 1964 for the establishment of an industrial Estate at Kunjpura Road, Bye-pass Karnal. It has since been decided to set up an Industrial Development Colony there.

चौधरी राम लाल: क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि क्या इस सिलसिले में फाइनल नोटिफिकेशन हो गया है?

मुख्यमंत्री: इसके लिए सैपरेट नोटिस दें।

Rising of Prices in the State

***182. Sh. Daya Krishan:** Will the Chief Minister be pleased to state -

(a) whether it is a fact that the prices in the State have risen to a great extent; if so, the steps so far taken or proposed to be taken to bring down prices;

(b) what relief, if any, the Government proposes to give to the Government servants and the poor people in the State ?

Major Amir Singh (Minister of State for Rural Electrification): (a) & (b) The requisite information is laid on the table of the House.

STATEMENT

(a) Yes, the following measures have been taken are being taken to bring down prices:-

(i) All Wholesale Dealers in foodgrains have been licensed. The licensees are required to submit fortnightly stock returns. This has been done to keep a check on the activities of the wholesale trade.

(ii) The Punjab Commodities Price Marking and Display Order, 1962 is in force in the State Whereunder all the dealers are required to display prices of all foodgrains and other essential commodities at prominent places at their business premises. This enables the consumers to compare

prices of various commodities. Prevailing at different shops in the market and to buy them from the cheapest place.

(iii) About 2700 Fair Price Shops have opened in the State for the distribution of wheat, atta, sugar and rice to the consumers at fixed Prices.

(iv) Suitable reserve of wheat and rice is being built up for the Provincial Reserve for distribution to consumers through depots. This helps in keeping a check over the rising prices of foodgrains besides making available foodgrains to consumers at reasonable prices.

(v) The maximum wholesale and retail prices of various varieties of rice have been statutorily fixed both for the producing and consuming areas of the State under the Punjab Rice Price control Order, 1964 (as amended in 1966). Accordingly no variety of rice can be sold in the market at prices exceeding those fixed under the above mentioned order.

(vi) A single State Food Zone has been formed by the Government of India for wheat and rice from 18th April, 1967. As a result of the formation of single State Food Zone, sufficient quantity quantity of foodgrains which used to move to other States now remains within the State thereby increasing the availability of foodgrains to consumers. This will help in keeping the prices in check to a considerable extent. Regarding gram, Government of India has formed a Zone comprising of Haryana and Delhi States. But inter district restrictions have been imposed on gram with a view to ensure that only regulated quantities required for the needs of Delhi State are exported.

(vii) Anti-smuggling measures have been tightened to check unauthorised movement of foodgrains outside the State Zone as the case may be.

(viii) Arrangements have been made in collaboration with the Statistical Organisation of the Planning Department to collect weekly information about prices of foodgrains in various districts of the State and to ensure that the correct prices are reported by the districts.

(ix) Government of India have been approached for increase in the monthly quota of imported wheat for the State from 5000 tonnes to 16660 tonnes in order to enable the State Government to make cheaper atta available at fair price depots in increased quantities.

(x) regarding the prices and supplies of cement, kerosene, soft coke, bricks and vegetable ghee, action is being taken on the following lines:

Cement – Though cement is a decontrolled item yet prices thereof are fixed by the Industry in consultation with the Government of India and cement stockists are required to sell cement at those fixed prices. In case of any mal-practice that may be indulged in the by the stockists action can be taken by the District Officers under the provisions of the Punjab cement – Price and Stock Display Order, 1966.

Kerosene- Wholesale and retail dealers licences have been issued by the District magistrates under the Provisions of the Punjab Kerosene Dealers Licensing Order, 1966 and the prices are also controlled by the District Magistrates under the provisions of Kerosene Fixation of

ceiling prices Order, 1966. The object of this order is obviously to enable to introduce healthy regulatory measures in the distribution channel to the best advantage of the consumers.

Soft Coke- Prices are fixed in the District by the District Magistrates according to a certain formula prescribed by the Government.

Bricks – Ceiling prices of bricks are fixed by the District Magistrates under the provisions of the Punjab Control of Bricks supplies Order, 1966 and the East Punjab Control of Bricks Supplies Order, 1949.

Vegetable Ghee- Prices of vegetable ghee are fixed by the Government of India. With a view to ensure that there may be no over charging and to ensure fair distribution of vegetable ghee. The Haryana Hydrogenated Oils Dealers Licensing Order, 1967 has been promulgated.

(b) In addition to the above measures which benefit the Government Servants and the poor people, the State Government have already announced to enhance the D.A. of the Government Employees to the level of Government of India employees, with effect from the 1st June, 1967.

The Government has also advanced to the Government employees an interest free loan for the purchase of wheat during the year 1967-68. Under this decision, a Government Servant is allowed interest -free loan equivalent to two month's pay including dearness pay subject to a maximum of Rs. 300 to the employees drawing upto Rs. 500

per month, who may wish to buy wheat for their own consumption.

श्री दया कृष्ण: क्या वजीर साहिब के नोटिस में यह बात है कि बहुत सा अनाज हरियाणा से बाहिर जा रहा है?

राज्यमंत्री: ऐसी चीज मेरे नोटिस में नहीं है और जिस जगह से नोटिस में आयी है कार्यवाही की जा रही है।

श्री दया कृष्ण: क्या ट्रिब्यून अखबार में आपने पढ़ा है कि हिसार और दूसरे जिलों में अनाज की स्मगलिंग हो रही है?

राज्यमंत्री: मुझे तो अखबरा पढ़ने का मौका मिला नहीं, जाकर पढ़ूंगा।

श्री दया कृष्ण: क्या पढ़ने के बाद कोई कार्यवाही करेंगे?

राज्यमंत्री: अगर कोई कदम उठाने की जरूरत हुई तो जरूर उठाऊंगा, नहीं तो नहीं।

श्री दया कृष्ण: क्या मिनिस्टर साहिब को पता है कि अब से पहले भी कुद केसिज पकड़े गये हैं?

राज्यमंत्री: मैंने आपसे अर्ज किया कि जो नोटिस में आये हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है और बाकी आप मेरे नोटिस में लायेंगे तो मैं उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री श्री कृष्ण: जिनके खिलाफ कार्यवाही की गई है उनके बारे में कितने दिनों के बाद पता चलेगा?

राज्यमंत्री: यह तो वक्त बतलायेगा?

श्री श्री कृष्ण: कल भी मंत्री जी ने वक्त को बात बतलाई। क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि कौन सा वक्त होगा सुबह का या शाम का ?

राज्यमंत्री: यह तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन यह तो आपको पता होगा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे थे।

श्री श्री कृष्ण: मंत्री जी, बतायेंगे कि कौन सी तैयारी कर रहे थे।

मुख्यमंत्री: श्री भगवत दयाल जी से पूछ लें, उनके पत्र में होगा।

Fixation of Minimum and Maximum Rate of Wheat

***183. Sh. Daya Krishan:** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government intend to fix minimum and maximum prices of wheat; if so, when ?

Major Amir Singh: (State Minister of Rural Electrification): No.

श्री दया कृष्ण: अगर गन्दम का भाव इससे भी ज्यादा बढ़ जाये तो वजीर साहिब पब्लिक के लिये क्या सहूलियत पैदा करेंगे?

राज्यमंत्री: वक्त आयेगा तो उसके मुताबिक कार्यवाही करेंगे।

श्री दया कृष्ण: मंत्री जी बतायें कि कितनी प्राइसिज बढ़े, जिनकी ये ठीक समझते हैं।

श्री अध्यक्ष: दया कृष्ण जी, आप तो बहुत पुराने पार्लियामेटेरियन रहे हैं, यह तो आप राय पूछ रहे हैं, कोर्ट इनफर्मेसन पूछिए।

श्री दया कृष्ण: इनफर्मेसन मैं यह पूछना चाहता हूँ कि कोई मैक्सिमम प्राइसिज व्हीट की मुकर्रर करना चाहते हैं या नहीं।

मुख्यमंत्री: यह बहुत हिपोथैटिकल क्वेश्चन है।

Reservation made for promotion of Harijans to Higher Posts

***354. Sh. Prabhu Singh:** Will the Minster for revenue be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that the Government instructions regarding reservation made for promotions of Harijans to higher posts are not being properly adhered to;

(b) if the reply to part 9a) above is in the negative, the total number of Harijans benefited through these instructions since the date of enforcement of these instruction?

Sh. Chand Ram (Deputy Chief Minister): (a) No; the instructions are being followed.

(b) The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with the benefit that can possibly be derived. therefrom.

श्री श्री कृष्ण: 'नो' से क्या मकसद है, मैं वजीर साहिब से जानना चाहता हूँ?

उप-मुख्यमंत्री: 'नो' से क्या मतलब 'नहीं' है।

श्री श्री कृष्ण: 'नहीं' तो समझ गया था परन्तु क्या वे अपनी हिन्दी जबान में बतायेंगे? मेरे प्रश्न का उत्तर उन्होंने क्या दिया?

उप-मुख्यमंत्री: आपका सवाल यह था कि इन्स्ट्रक्शन फालो की जाती है। मैंने कहा कि इन्स्ट्रक्शन फालो की जाती हैं और यह तो सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री श्री कृष्ण: अगर फालो की जाती हैं तो अब तक कितने हुए?

उप-मुख्यमंत्री: कितने हुए, इसका जवाब दे दिया गया है।

श्री श्री कृष्ण: मैं हिन्दी में जानता चाहता हूँ।

उप-मुख्यमंत्री: मैंने तो जवाब दे दिया, आप, स्पीकर साहिब, जरा पार्ट 'बी' का जवाब इन्हें बतायें।

Model town, Rewari, district Gurgaon

***333. Sh. Jawwant Singh:** Will the Minister for Revenue be pleased to state –

(a) the number of houses constructed by Government in the years 1948 and 1949 in Model Town, Rewari, for sale to the refugees, and at what cost;

(b) the number of houses sold and the price at which sold;

(c) the cases in which the vacant possession of the said houses has not been given to the buyer;

(d) the number of houses which are in possession of the unauthorized persons who do not pay any rent to the Government;

(e) whether there are any buyers for the said unsold houses, if not, the reasons therefore;

(f) the profit or loss sustained by the Government in constructing and selling the said houses;

(g) the manner in which the Government propose to recover the instalments from those buyers who have not been given the vacant possession of the houses after sale;

(h) the proposal of the Government in regard to the unsold houses?

HARYANA GOVERNMENT

DEPARTMENT OF REHABILITATION

The Secretary,

Haryana Vidhan Sabha Secretariat,

Chandigarh

No. 21900m dated 2nd August, 1967.

Subject- Model Town Rewari, District Gurgaon.

(Starred Question No. 333)

Sir,

I am directed to refer to you letter No. 11131/Q/196, dated 28th July, 1967 on the subject cited above and to inform you that the requisite information is being collected from the Deputy Commissiioner, Gurgaon, as the information already supplied by him was not complete. He has again been reminded for the purpose and further communication will follow.

Your faithfully,

(Sd.)

Deputy Secretary to Government,
Haryana

Rehabilitation Department, Chandigarh.

Export of Milch Animals from the State

***181. Sh. Daya Krishan:** Will the Minister for Revenue be pleased to state (i) whether there is any proposal under the consideration of Government to check and regulate the export of milch cattle from the State: (ii) if so, the details thereof and (iii) the time by which the proposal is expected to materialize?

Sh. Chand Ram (Deputy Chief Minister): (i) There is no proposal to check the export of milch animals as such from the State. However, there is a proposal to ban the export of cows from the State.

(ii) The matter was referred to Government of India, and they have advised that a total ban cannot be imposed. The matter is being examined further in the light of the advice of the Government of India.

(iii) No time can be specified.

श्री श्री कृष्ण: क्या वजीर साहिब बतायेंगे कि गऊओं की एक्सपोर्ट कयों बन्द कर रहे हैं और बाकि जानवरों की एक्सपोर्ट कयों नहीं बन्द कर रहे हैं?

उप मुख्यमंत्री: गऊओं की एक्सपोर्ट इस लिये कि उनके बारे में हरेक का सैंटिमैण्ट है और दूसरों के बारे में अभी तक पब्लिक ओपिनियन नहीं बनी है।

श्री दया कृष्ण: क्या काऊज की एक्सपोर्ट सिर्फ सैंटिमेंटल ग्राऊंडज पर ही कर रहे हैं या कोई और भी ग्राऊंडज हैं?

उप मुख्यमंत्री: इसके लिये दोनों ही बातें हैं। सैंटिमेंटल ग्राऊंडज भी और दूसरे भी।

श्री भगवान देव प्रभाकर: गऊओं पर पाबन्दी कब तक लगाई जाएगी?

उप मुख्यमंत्री: वह तो मैंने कहा कि कोई टाइम स्पैसिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके लिये जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे।

श्री श्री कृष्ण: क्या इस मामले में सैंट्रल गवर्नमेंट को भी मूव किया गया है?

उप मुख्यमंत्री: हां और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने सलाह दी है कि कन्स्टीच्यूशन के मातहत टोटल बैन नहीं लगा सकते, लेकिन पार्शल बैन लगाने के लिये किसी शकल में यंग काऊज या इनकी दूसरी बेरायटीज के जानवरों को बाहिर जाने से रोकने के लिये कोई विचार हम करें।

श्री श्री कृष्ण: क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि सैंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि सूबा गवर्नमेंट ही खुद कर सकती है?

उप मुख्यमंत्री: यह तो मेरी नालेज मैं नहीं है। मैं नहीं समझता कि कन्स्टीच्यूशन को बाईपास करने का कोई अख्तियार सूबा गवर्नमेंट के है। कन्स्टीच्यूशन तो सुप्रीम है।

श्री श्री कृष्ण: क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार की फिर कोई ऐसा अधिकार है कि वह पाबंदी लगा ले?

मुख्यमंत्री: रीजनेवल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, रोक नहीं सकते।

श्री श्री कृष्ण: क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि पिछली गवर्नमेंट में पाबन्दी लगाई थी कि कोई जानवर बाहर नहीं जायेंगे?

(जबाब नहीं दिया गया)

श्री भगवान देव प्रभाकर: वह तो इलैक्शन स्टण्ट था।

Chaudhri Debi Singh Twetia: Supplementary, Sir Mr. Speaker, the hon. Minister has just stated that there is constitutional bar about banning the export of cows etc. I do not think there is any such constitutional bar

श्री अध्यक्ष: यह तो तवेतिया साहिबआप राय दे रहे हैं। कोई सवाल पूछे।

श्री श्री कृष्ण: क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि सैण्टर वालों ने ऐसा जबानी कहा है या लिख कर भेजा है?

उप मुख्यमंत्री: उन्होंने अपनी राय लिखकर भेजी है। राय मैंने अभी हाऊस के सामने रखी हैं उन्होंने कहा है कि हम टोटल बैन नहीं लगा सकते। हम तो, जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने बताया कोई रीजनेबल रैस्ट्रिक्शन्ज लगा सकते हैं। ये रैस्ट्रिक्शन्ज क्या हों, यह मामला जल्दी ही कैबिनेट के सामने आएगा।

श्री श्री कृष्ण: जब कैबिनेट अपना फैसला कर लेगी तो क्या उसका उद्घाटन हाऊस के अन्दर किया जायेगा?

मुख्यमंत्री: उद्घाटन के दिन तो गए। (श्री भगवानदेव जी ने भी कुछ कहा।)

श्री श्री कृष्ण: स्पीकर साहिब, मेरे उद्घाटन शब्द का मतलब न तो राव साहिब समझे हैं और न यह चोटी वाला समझा है।

श्री भगवान देव प्रभाकर: औन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। पहले दिन इन्होंने खीर खाने वाला बताया और अब चोटे वाला कह रहे हैं। स्पीकर साहिब, ये शब्द अनपिलियामेटरी हैं और इनसे कहिए कि आयंदा इस तरह के शब्द वे इस्तेमान न करें।

Steps to ban export of Milch Animals from the State

***345. Sh. Tuhi Ram:** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether the Government has taken any

steps to ban the export of milch cattle from Haryana; if so, the details thereof and if not, the details of the reasons therefore ?

Sh. Chand Ram (Deputy Chief Minister): Yes, The matter was referred to Government of India and they have advised that a total ban cannot be imposed. The matter is being examined further in the light of the advice of Government of India.

Procedure for the prescription of Text-books

***344. Ch. Ram Lal:** Will the Minister for Education be pleased to state -

(a) the procedure prescribed for selecting the Text books for Primary, Middle and High Classes in the State;

(b) the arrangements made for printing the aforesaid books ?

Sh. Hardwari Lal: (a) The books for Primary and Middle classes have been nationalized and are got written through Commissioned Authors. The books for High classes are prescribed by the Punjab University.

(b) The Nationalised Text-books are printed through the controller of Printing and Stationery, Chandigarh.

चौधरी राम लाल: क्या मंत्री महोदय के नोटिस में है कि बच्चों को किताबें नहीं मिलतीं और कभी कभी तो ऐसी हालत होती है कि 6-6 महीनों के बाद मिलती है? क्या इसके बारे में कोई प्रबन्ध मिया जाएगा?

Minister: Yes, certainly these things are in my notice. Things are not in proper order.

श्री भगवान देव प्रभाकर: क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि आजकल पुस्तकें ब्लैक में चल रही है?

Minister: It is already in my notice, Sir.

श्री श्री कृष्ण: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि बच्चा तो 8 सेर का होता है और उसकी किताबें 12 सेर की होती है, इसको कम करने के लिये कुछ किया जायेगा?

(हंसी, जवाब नहीं दिया गया)

Medical Facilities at Rewari, district Gurgaon

***332. Sh. Jaswant Singh:** Will the Minister for Health be pleased to state the facilities available at present at Rewari to the patients suffering from T.B., for dental patients and for the patients requiring pathological tests, E.C.G. and X-ray?

Sh. Sheryo Nath: With the exception of E.C.G. for which no facilities exist, the following facilities are available at the Civil Hospital, Rewari :-

- (1) Laboratory facilities for patients suffering from T.B.
- (2) Dental Clinic;
- (3) Pathological Laboratory; and

(4) X-Ray Plant.

श्री दया कृष्ण: क्या वजीर साहिब बतलाने की कृपा करेंगे कि टी.वी. के रोगियों के लिये स्टैप्टोमाइसीन हास्पिटल में मिलती है?

मंत्री: जरूर मिलती है। जब होती है तो लगा दी जाती है और जब नहीं होती तो लिखकर दे दिया जाता है।

श्री दया कृष्ण: स्टैप्टोमाइसीन क्या इस वक्त हास्पिटल में मिलती है या नहीं?

मंत्री: बहुत ज्यादा मिलती है। कभी कभी जब खतम होती है तो उसके लिये लिखकर दे दिया जाता है।

श्री लाल सिंह: क्या हैल्थ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि टी.बी. के बीमारों को चारपाइयां क्यों नहीं मिलती, मरीज अधिक होते हैं और दाखिल बहुत कम किये जाते हैं, सब मरीजों को दाखिल करने का क्या इंतजाम किया जाएगा है?

मंत्री: जरूर करेंगे।

श्रीमती स्नेह लता: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि पार्ट (बी) के उत्तर की बिना पर हिसार का हिस्सा कितना आता है?

मंत्री: यह सब इसमें लिखा हुआ है। ध्यान से पढ़ लें।

श्री श्री कृष्ण: क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि बहुत से हास्पिटलज की स्थिति ऐसी है और जिनके अन्दर डाक्टर और वैद्य नहीं?

मंत्री: हां, इस वक्त 235 डाक्टरों की कमी है। पोस्टें हमने एडवरटार्ज की हुई हैं। जब मिल जायेगे तो हास्पिटलज और औषधालयों में लगा दिये जायेंगे।

श्री श्री कृष्ण: क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बतायेंगे कि एस.एस.ए. बोर्ड ने जो कुछ वैद्य डिक्लेयर किये हैं, वे आजकल नहीं लगाए गए हैं?

मंत्री: उनको जल्दी से जल्दी लगा रहे हैं। हमारी जो 21 एलोपैथिक डिस्पेंसरियां थीं वे आयुर्वेदिक में कनवर्ट कर दी गई हैं और उनमें ये लोग जल्दी से जल्दी लगा दिये जायेंगे।

श्रीमती ओम प्रथा जैन: मिनिस्टर साहिब ने अभी बताया कि 21 एलोपैथिक डिस्पेंसरियां आयुर्वेदिक में कनवर्ट कर दी गई हैं। तो क्या वे बतायेंगे कि यह कनवर्शन हमेशा के लिये हुई है या टैम्परेरी है?

मंत्री: जब तक डाक्टर नहीं मिल रहे हैं, तब तक हुई है।

Hospital, Dispensaries and Health Centres In the State

***357. Smt. Sneh Lata:** Will the Minister for Health be pleased to state –

(a) the number of hospitals, dispensaries and health centres, districtwise, together with yearly number of patients in each separately;

(b) the number of Desi (Ayurvedic) dispensaries together with the number of patients under treatment in each:

(c) the number of hospitals, etc., without doctors or vaids, districtwise;

(d) the steps which the government is taking to improve the health service in the State?

Sh. Sheryo Nath: (a), (b), (c) and (d) The available requisite statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a)	Name of the District	Number of Hospitals, Dispensaries and Primary Health Centres	Number of desi (Ayurvedic) Dispensaries	Yearly number of patients in each Hospital, Dispensary and Primary Health Centre asked in part (a) and number of patients under treatment in each desi
-----	----------------------	--	---	--

				(Ayurvedic) dispensary asked in part(b)
1	2	3	4	5
1.	Ambala	Hospitals -11	21	6
		Dispensaries -20		
		P.H.C.s - 8		
2	Gurgaons	Hospitals - 9	30	The Time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.
		Dispensaries - 28	In addition there is ten bedded Unani Hospital at Sihol, District Gurgaon	
		P.H.C.s. 15		
3	Hisar	Hospitals -14	22	
		Dispensaries		

		-33		
		P.H.C.s. - 18		
4	Jind	Hospitals - 2	8	
		Dispensaries - 4		
		P.H.C.s. - 6		
5	Karnal	Hospitals -6	21	
		Dispensaries - 22		
		P.H.C.s. - 17		
6	Mohindergar h	Hospitals -6	20	
		Dispensaries - 6	In addition, there is a ten bedded Ayurvedic Hospital at Imlota, district Mohindergar h	
		P.H.C.s. - 9		
7	Rohtak	Hospitals -8	21	
		Dispensaries		

		- 28		
		P.H.C.s. - 15		

(c) Name of the District	Number of Hospitals etc. without doctors or vaidis districtwise
Ambala	2
Gurgaon	14
Hisar	9
Jind	1
Karnal	6
Mohindergarh	2
Rohtak	6

(d) The following steps have been taken to improve the Health Service in the State :-

(i) It has been decided as a matter of policy to provide at least one doctor in each Primary Health Centre.

(ii) specialists have been provided to each District Headquarter Hospital.

(iii) It has been decided to fill up 50 per cent posts under the E.S.I. Scheme and the Family Planning scheme.

(iv) The following Hospitals at Tehsil and District Headquarters and proposed to be improved by raising the bed-strength of each to the extent as mentioned against each :-

Karnal	200
Ambala	200
Hisar	100
Gurgaon	100
Narnaul	50
Jind	50
Sonepat	50
Panipat	50
Kaithal	50
Naraingarh	50
Rewari	50
Palwal	50
Bahadurgarh	50
Sirsa	50
Hansi	50
Jagadhri	50
Kurukshetra	50

Narwana	50
---------	----

Additional buildings will be god constructed at some of these Hospitals keeping in view the need and availability of funds.

(v) 25 Allopathic Dispensaries are proposed to be opened during the Fourth Five Year Plan.

(vi) The buildings for 25 Primary Health Centres will be constructed during the Fourth Five Year Plan.

(vii) Five local bodies hospitals will be provincialised during the Fourth Five Year Plan and grant-in-aid will be paid to some Local Bodies for improvement of the hospitals.

(viii) New building for Civil Hospital, Mohindergarh, is proposed to be constructed.

(ix) 21 Ayurvedic dispensaries are proposed to be opened during the Fourth Five Year Plan. A proposal for the opening of regular Ayurvedic dispensaries is being formulated. Besides 21 Allopathic dispensaries are being converted into Ayurvedic ones for which allopathic doctors are not available.

(x) Haryana Public Service Commission has already been requested to recruit more doctors for filling in the vacant posts.

Home for Aged and Infirms, Rewari, district Gurgaon

***334. Sh. Jaswant Singh:** Will the Minister for Health be pleased to state –

(a) the amount sanctioned for running the “Home for aged and Infirms” Rewari, for its building, for staff and for the inmates during the year 1966-67;

(b) The number of the persons and names of the members of the staff and of the inmates during 1966-67;

(c) the money spent on the staff and also on the inmates during 1966-67;

(d) the space of accommodation used by the staff and by the inmates, separately, and also the space which remained vacant during 1966-67;

(e) the maximum sum sanctioned by Government for spending per inmate in the said Home and the actual sum spent (per inmate by Government during the said year?

Sh. Sheryo Nath: The requisite information from (a) to (e) is placed on the Table of the House.

(a) Sr. No .	Primary Units	Budget Provision in composite Punjab for Home for Aged and Infirm, Rewari, for the year 1966-67 as a whole	Modified grant sanctioned by Haryana Government for the period 1 st November, 1966 to 31 st March, 1967
-----------------------	---------------	--	--

		Rs.	Rs.
1	Pay of Establishment	Expenditure under	3840.00
2	O.A. & H.	establishment may be incurred according to the sanctioned strength against the *Provisions reserved at Headquarters	3260.00
3	Travelling Allowances	200.00	100.00
4	Other Contingencies	1000.00	500.00
5	Rent of Building	6000.00	4000.00
6	Feeding Charges	28000.00	6000.00
7	Clothing Charges	1200.00	700.00
8	Medical and Health	900.00	350.00
9	Miscellaneous	700.00	300.00
	**Pay of Establishment	Rs. 23790.00	
	O.A. & H.	Rs. 17710.00	

(for Home for Aged and Infirms at Hoshiarpur, Jullundur and Rewari.)

(b) LIST OF STAFF EMPLOYED DURING 1966-67

Sr. No.	Name of the Official	Designation	Period	Remarks
1	Mrs. Darsh Kapila	Superintendent	1 st April, 1966 to date	
2	Sh. Kishan Singh Lehri	Accountant	1 st April, 1966 to 20 th October, 1966	
3	Sh. Bhim Sen Gehra	Do	25 th October, 1966 to 5 th December, 1966	
4	Sh. K.C. Kapila	Do	1 st December, 1966 to date	
5	Smt. Kaushalya Mehta	Recreational Supervisor	1 st April, 1966 to date	
6	Smt. Har Devi	Attendant	1 st April 1966 to date	
7	Sh. Kishan Chand	Peon	Ditto	
8	Sh. Chet Ram	Sweeper	Ditto	
9	Sh. Badloo Ram	Chowkidar	1 st April, 1966 to 26 th April,	

			1967	
10	Sh. Jai Singh	Bhishti	1 st April, 1966 to date	
11	Smt. Lajwanti, wife of Sh. Kishan Chand	Cook	1 st April, 1966 to 22 nd September, 1966	
12	Smt. Lajwanti, Wife of Sh. Amir Chand	Cook	10 th May, 1966 to 17 th August, 1966 (worked in the leave vacancy of Lajwanti and again vice Smt. Sheela Devi)	
13	Sh. Mool Chand	Cook	23 rd September, 1966 to 14 th December, 1966 (resigned)	
14	Smt. Sheela Devi	Cook	15 th December, 1966 to 1 st February, 1967 (resigned)	
15	Dr. Ram Lal	Part-time Medical Officer	1 st April, 1966 to date (Working	

			Honorary)	
--	--	--	-----------	--

(b) (ii) LIST OF INMATES DURING 1966-67

Sr. No.	Name	Period
1	Sh. Khushi Ram	1 st April, 1966 to date
2	Smt. Veera Bai	1 st April, 1966 to date
3	Smt. Ganeshi Bai	1 st April, 1966 to 2 nd July, 1966
4	Sh. Kanahya Lal	1 st April, 1966 to 26 th April, 1967
5	Sh. Topan Dass	1 st April, 1966 to 22 nd November, 1966
6	Smt.t Chetni Bai	1 st April, 1966 to date
7	Smt. Tallo Bai	1 st April, 1966 to date
8	Sh. Charan Jit Lal	1 st April, 1966 to date
9	Smt. Jiwan Bai	1 st April, 1966 to date
10	Smt. Jamna Bai	1 st April, 1966 to date
11	Smt. Budh Wanti	1 st April, 1966 to date
12	Sh. Shankar Dass	1 st April, 1966 to 19 th February, 1967

13	Sh. Jodha Ram	1 st April, 1966 to 31 st March, 1967
14	Sh. Daulat Ram	1 st April, 1966 to 31 st March, 1967
15	Sh. Wasu Ram	1 st April, 1966 to date
16	Smt. Vishan Bai	1 st April, 1966 to date
17	Smt. Jamna Bai	1 st April, 1966 to date
18	Sh. Ladha Bai	1 st April, 1966 to 13 th July 1966
19	Sh. Shadi Ram	1 st April, 1966 to 27 th May, 1967
20	Smt. Moolo Bai	1 st April, 1966 to date
21	Smt. Bhagwanti	1 st April, 1966 to date
22	Sh. Nota Ram	1 st April, 1966 to 31 st July 1966
23	Sh. Ditta Singh	1 st April, 1966 to date
24	Smt. Jatto Bai	1 st April, 1966 to date
25	Smt. Khushali Bai	1 st April, 1966 to date
26	Smt. Suhagwani	1 st April, 1966 to date
27	Smt. Mela Devi	1 st April, 1966 to date
28	Sh. Ram Chand	1 st April, 1966 to date
29	Sh. Chela ram	1 st April, 1966 to date
30	Sh. Gurmukh	1 st April, 1966 to date

	Dass	
31	Sh. Aya Ram	1 st April, 1966 to date
32	Sh. Wasandha Ram	1 st April, 1966 to date
33	Sh. Tela Singh	1 st April, 1966 to date
34	Sh. Santha Ram	1 st April, 1966 to date
35	Sh. Mangla Ram	1 st April, 1966 to date
36	Smt. Chetni Bai	1 st April, 1966 to date
37	Smt. Laxmi Bai	1 st April, 1966 to 23 rd August, 1966
38	Sh. Girdhari Lal	15 th May, 1966 to date
39	Smt. Khem Kaur	23 rd May, 1966 to date
40	Sh. Trilok Chand	13 th June, 1966, to date
41	Sh. Sukh Ram	20 th June, 1966 to 23 rd September, 1966
42	Sh. Salig Ram	20 th June, 1966 to 1 st February, 1967
43	Smt. Shanti Devi	1 st July 1966 to date
44	Smt. Diali Bai	6 th July, 1966 to 26 th July 1966
45	Smt. Ram Bai	15 th September, 1966 to date
46	Sh. Sajjan Ram	4 th October, 1966 to date

47	Smt. Roop Devi	9 th December, 1966 to date
48	Smt. Jai Devi	25 th December, 1966 to date
49	Smt. Ram Ditti	5 th January, 1967 to date
50	Sh. Baksha Ram	25 th January, 1967 to date
51	Smt. Ishwar Bai	1 st February, 1967 to date
52	Smt. Veeran Bai	5 th February, 1967 to date
53	Sh. Hukam Chand	6 th March, 1967 to date

(c) total expenditure incurred ton this Home during 1966-67 is Rs. 40803.14 paise. Out of which Rs. 22, 776.89 were spent on the maintenance of the inmates.

(i)	(i) Total number of Units with Home	15
(ii)	Total Number of rooms, stores, kitchen in 15 units	106
(iii)	Total rooms, stores, kitchen in use of staff members	20
(iv)	Total number of rooms inuse of office/stores and community kitchen	20
(v)	The number of rooms, kitchens with inmates	57
(vi)	Total number of rooms vacant for want of	9

	repairs, etc.	
--	---------------	--

(e) Maximum limit sanctioned is Rs. 30.00 per mensem per inmate besides clothing, medical and sanitation facilities, rent of buildings and pay of establishment. Actual amount spent per inmate (approximately) is Rs. 27.00 per mensem besides clothing, medical and sanitation facilities, rent of building, establishment charges etc.

**Acquisition of land for erection of power-house at
Ballabgarh**

***346. Sh. Tuhi Ram:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) whether it is a fact that the land acquired for the purpose of erection of Power house at Ballabgarh as been fully and completely taken possession of and the construction of Power-house has been started;

(b) whether the land owners whose land was acquired have been paid their due compensation, if so, the rate at which paid?

Sh. Mani Ram Godara: (a) No land has been acquired for a Power house at Ballabgarh by the Haryana State Electricity Board.

(b) Question does not arise.

Starred Question No. 353

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of starred question No. 353. Therefore, it is postponed.

Co-operative spinning Mill Uklana

***298. Ch. Rizq Ram:** Will the Minister of State for Co-operation be pleased to state –

(a) Whether any licence was issued to a co-operative society for setting up a Co-operative Spinning Mill at Uklana, district Hisar;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the date when the said licence was issued; the total number of shares sold together with the total amount of subscribed capital so far;

(c) the approximate time by which the said mill is proposed to start functioning?

Rao Birendra Singh: (Chief Minister) (a) Yes.

(b) (i) The licence was issued on 25th March, 1964.

(ii) 2500 shares of the value of Rs. 100 each were sold.

(iii) Subscribed capital is of Rs. 250 lakhs.

(c) It is not possible to indicate the time by which the mill will start functioning. Efforts are being made to accelerate the collection of requisite share capital and for the completion of other arrangements.

चौधरी राम लाल: स्पीकर साहिब, मेरा एक सवाल है उसके पार्ट तीन का जवाब नहीं मिला।

उप-मुख्यमंत्री: उसका जवाब भेज देंगे।

श्री श्री कृष्ण: स्पीकर साहिब मेरा एक सवाल 5 जून को आया था। उसका नम्बर 14 है। उसके बाद उसका नम्बर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: जो सवाल रह जाते हैं उनको बाद में लिया जाता है।

श्री दया कृष्ण: स्पीकर साहिब, मेरा एक काल अटैन्शन मोशन था उसका जवाब नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष: हां है, उसकी स्टेटमेंट तैयार हो जाए, फिर कर लेंगे। I have already admitted it.

श्री दया कृष्ण: स्पीकर साहिब, आपने कहा था कि सोमवार को कर लेंगे लेकिन अब तो सेशन का आखिर भी होने वाला है। (विघ्न)

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Abolishing of Social Welfare Department

30. Ch. Ram Lal: Will the Minister for Health be pleased to state whether there is any scheme to abolish the Social Welfare Department, if so, the details thereof ?

Sh. Sheryo Nath: There is no proposal to abolish the Social Welfare Department.

**Construction of new roads during the current year in
Karnal District**

31. Ch. Ram Lal: Will the Minister of State for Public Works be pleased to state –

(a) whether it is a fact that some new roads are being constructed during the current year in Karnal District ;

(b) whether it is also a fact that some roads are under consideration of Government for construction ;

(c) if the answers to parts (a) and (b) are in the affirmative, the names and the details thereof ?

Sh. Phool Chand: (a) and (b) Yes.

(c) Statements giving list of roads against (a) and (b) are placed on the table of the House.

STATEMENT (a)

Sr. No.	Name of Road	Length in miles	Cost in lakhs	Remarks
1	2	3	4	5
	KARNAL DISTRICT			
1	Ladwa To Nehvi	4.00	2.50	

2	G.T. Road to village Umri	1.00	0.60	
3	G.T. Road (Umri to Indri)	9.00	10.00	
4	Approach road from Keorak on Kaithal-Pehowa-Hisar Road to Hawooh	4.00	3.50	
5	Samalkha to village Beholi	--	--	
6	Smalkha to village Mandi	6.25	8.00	
7	Manana to village Naraina	3.00	5.00	
8	G.T. Road to Machhrauli	--	--	
9	G.T. Road to village Kharhans	0.80	0.50	
10	Jikandia on Hathwala Road to village Mohli	3.00	2.00	
11	Village Gyanpur to Kutail via Mubarikabad and Kalraon	4.00	2.50	
12	Nilokheri to Sikri via Sandhir			
13	Jhanjauri on G.T. Road to Sultanpur via Bhimkhurad	3.50	2.25	
14	Tarori to village Saga	6.00	6.00	
15	Approach from Rajound-Pundri Road to Karora	6.00	4.75	
16	Keorak Darg Road vila Teak	2.00	1.00	

17	Uplana to Dig via Chhachhara road (village road)	6.00	6.00	
18	Kheri Asharf Ali To Rihara	6.00	4.00	
19	Raisana to Sirsa via Sanch	4.50	3.00	
20	Pehowa-Kaithal road to Pehowa-Chand road via Beghpur and Rasulpur	5.00	2.50	
21	Panipat-Kabri	7.50	7.50	
22	Panipat to village Jatauli			
23	Panipat-Babail	4.00	2.50	
24	Babain on Shah-bad Ladwa Road to Barara	4.50	2.50	
25	Jalwana to Kirlana	10.00	10.00	
26	Padha to Munak	4.00	2.50	
27	Kutail to Barsat via Kalraon	5.50	5.50	
28	Extension of Assan Kalan-Mone Majra Road link with Salwan Munak Road	5.00	5.00	
29	Gharaunda to Gassina via village Phurlak and Rajpur	3.00	2.50	
30	Kaimla to Barsai	5.00	5.00	

31	Kaimla to Barsai	3.00	1.80	
32	Khutpura to Barna	3.50	2.25	
33	Approach road from village Deog to Tara	3.00	1.80	
34	Village Rainpura to village Chaura	1.00	0.60	
35	Approach road to village Jhabala from Assandh-Karnal Road	0.50	0.30	
36	Shahbad to Thol	10.00	10.00	
37	Radaur to Rajheri	3.00	3.00	
38	Balance length of Radaur-Mustfabad with a link from Dhor to it near Garhi	5.50	5.50	
39	Balance length of Shahbad-Ladwa Road	6.00	6.00	
	Total	165.05	145.35	

STATEMENT (b)

Sr	Name of Roads	Length in miles	Cost in lacs		Provision for 1967-68	Remarks
			Gross	Net		
1	2	3	4	5	6	7
	Main Roads					
1	Deoban-Nikruan Road (Section Deoban to Targarh)	4.00	3.50	3.00		
2	Karnal-Assandh Road to Uplana	3.00	2.00	2.00	0.25	
3	Pundri-Panipat Road (Section Pundri to Habri)	6.00	3.80	2.00	0.40	
4	Kurukshetra-Karsa-Pundri-Deoban-Jind Road (Section Kurukshetra-Karsa) part provision	12.00	4.00	2.00	0.25	Proposed to be omitted

						for Office works
5	Shahbad-Ladwa Road (Section Ladwa to Bhaini)part provisoin	13.00	5.00	4.00	0.50	
6	Shahbad-Jhansa Road (Part provision)	10.00	4.00	2.00	0.25	
7	Karnal to Shami (up to state Boundary) (Inter-State Road)	7.00	7.00	4.67		
8	Karnal to Gangoh (Section Nia Wal to State Boundary (inter State Road)	4.50	4.50	3.00		
9	Radaur-Dhoanon Shahaura Road (Section Radaur to Gahlaur)	6.00	5.00	3.50	0.30	
10	Kaithal-Chanauri to Jind. Sangrur Road (Section kaithal to State Boundary with Punjab)	8.50	6.15	4.10		
II. VILLAGE AND APPROACH ROADS (75 PER CENT GOVERNMENT SHARE)						
11	Gharaundha to Shekhpur	2.50	1.19			

12	Gharaudda to mile 63/1 of G.T. Road to village Raipur	2.65	1.78	Against lumpsum provision of Rs. 17.81 lakhs for new village/approach roads of all districts
13	Village Samalkha to Naraina	3.50	2.22	
14	Mile 68/8 G.T. Road village Uchana-Sawana	0.90	0.68	
15	From Nilo-kheri Karsa-Dhand Road mile 0/4 to village Poonjaba	0.95	0.63	
16	From G.T. Road mile 102 to village Ram Nagar in Karnal District	0.86	0.61	
17	From mile 42/1 of Kaithal-Pehowa Road to village Keorak	0.55	0.35	
18	From mile 5 of Panipat-assandh Road to village Lohari in Karnal District (Industrial Area, Panipat)	6.00	3.91	
19	From Industrial Area, Panipat, to village Kabri	2.00	1.67	
20	From mile 11 of Panipat-Assandh Road to village Begampur-Phapa-Naut via Waisar	4.00	2.82	
21	From mil 6 of Panipat-Assandh Road to village Assan-Moremajra	7.50	6.15	

22	From mile 58/4 of G.T. Road to village Baroli	0.50	0.44	
23	From mile 59/1 of G.T. Road to village Ganjabarh	0.50	0.44	
24	From mile 45/8 of G.T. Road to village Machhrauli	1.50	1.10	
25	From mile 46/7 of G.T. Road to village Jatlipora	1.50	1.18	
26	From mile 43/7 of G.T. Road to village Manana	1.50	1.18	
27	From mile 39/5 of Panipat-gohana Road to village Burshan	4.00	3.11	
28	Approach from mile 4/6 of Nilokheri-Marsa Road from village Kamalpur to Dabarthala-Sambli Road	2.25	1.63	
29	Approach Road from village Karsa to village Ajanthli	0.50	0.54	
30	Approach to village Dhomsi from mile 16/7 of Karaunt-Ramba-Indri-Ladwa Road			
31	Approach to village Faridpur from mile 57 of G.T. Road	1.00	0.69	
32	Approach to village Baburpur from mile 57/1 of G.T.	0.18	0.11	

	Road			
33	Link Road from Baregaon to village Ghiar	3.25	2.17	
34	Approach road from mile 75/5 from Karnal Bye-pass to village Tikri via Kailas	2.25	1.42	
35	Approach road from village Sondoli from mile no. 13 of Thanesar-Pehowa Road	1.10	0.74	
36	Approach from Mile No. 4/3 of Karnal-Kunjpura to village Baragaon	2.40	1.46	
37	Approach Road to village Gonder from mile 15/8 of karnal-Kaithal Road	2.50	1.46	
38	Approach road to village Samalkhi from mile 112/4 G.T. Road	1.10	0.83	Against Lumpsum provision of Rs. 17.81 lakhs for new village/approach roads of all districts
39	From G.t. Road from mile 110 to Zainpura in Karnal District	0.42	0.35	
40	Constructing link road from mile 32/4 of Assandh-Rajaund Road to village Rihara	7.50	4.60	

41	Constructiong Link Road from mile 22 of Karnal-Kaithal Road to village Sabra via Ahun	3.30	2.79	
42	Constructing link road from mile 75 of Pundri Rajaund Road to village Karora	1.25	1.34	
43	Constructing link road from mile 21/2 of Karnal-Kaithal Road to village Sirsa via Sanch	6.00	3.61	
44	Constructing Link road from village Samalkha to Bheloi via Bhapur	5.00	3.27	
45	Constructing Link Road from Tarori of Sagga	6.00	5.88	
46	Constructing Link Road from mile 73/2 of G.T. Road to village	2.50	1.62	
47	Constructing Link road from mile 103/2 of G.T. Road to village Jhauri Jattan	1.25	0.85	

**Hospitals and Family Health Centres without Doctors in
the State**

32. Ch. Ram Lal: Will the Minister for Health be pleased state –

(a) the total number and names at present of the Civil Hospitals running without doctors in the State.

(b) the total number of Family Health Centres with their names running in the State without Lady Health Visitors;

(c) whether it is a fact that all the Hospitals and Dispensaries in the State have been provided with compounders; if not, the names of the Hospitals and of the Dispensaries where the Compounders have not been provided so far ?

Sh. Sheryo Nath: (a) There is no Civil Hospital in the State without any doctor;

(b) There are 88 posts of Lady Health Visitors in existence with the Family Planning Units out of which 76 posts are lying vacant. Annexure I attached herewith shows the names of the places where the posts of Lady Health Visitors are lying vacant in Family Planning Units;

(c) Yes, with the exception of two dispensaries, namely, E.S.I. Dispensary Ballabgarh and the Rural Dispensary Rasulpur.

ANNEXURE 'I'

**Showing the names of the places where the posts of the
Lady Health Visitors are lying vacant**

DISTRICT HISAR

1. Rural Family Planning Unit, Bahauna.
2. Rural Family Planning Unit, Tosham.
3. Rural Family Planning Unit, Khandakheri.
4. Rural Family Planning Unit, Sesai Bola.
5. Rural Family Planning Unit, Sorkhi.
6. Rural Family Planning Unit, Naqiepur.
7. Rural Family Planning Unit, Mangali.
8. Rural Family Planning Unit, Siswal.
9. Rural Family Planning Unit, Jakhal.
10. Rural Family Planning Unit, Barwala.
11. Rural Family Planning Unit, Bhatukalan.
12. Rural Family Planning Unit, Madhosinghana.
13. Rural Family Planning Unit, Odhan.
14. Rural Family Planning Unit, Rania.
15. Rural Family Planning Unit, Kairu.
16. Rural Family Planning Unit, Batias.
17. Rural Family Planning Unit, Baragudha.

DISTRICT ROHTAK

18. Rural Family Planning Unit, Madina.
19. Rural Family Planning Unit, Chhara.
20. Rural Family Planning Unit, Dhakla.
21. Rural Family Planning Unit, Kiloj.
22. Rural Family Planning Unit, Gohana.
23. Rural Family Planning Unit, Dighal.
24. Rural Family Planning Unit, Kahnaur.
25. Rural Family Planning Unit, Juan.
26. Rural Family Planning Unit, Mundlana.
27. Rural Family Planning Unit, Kharkhauda.
28. Rural Family Planning Unit, Ganaur.
29. Rural Family Planning Unit, Halalpur.
30. Rural Family Planning Unit, Badli.
31. Rural Family Planning Unit, Kathura.
32. Rural Family Planning Unit, Nahar.

DISTRICT GURGAON

33. Rural Family Planning Unit, Kherli Kalan.
34. Rural Family Planning Unit, Khol.
35. Rural Family Planning Unit, Aurangabad.

36. Rural Family Planning Unit, Ballabgarh.
37. Rural Family Planning Unit, Punhana.
38. Rural Family Planning Unit, Bhorakalan.
39. Rural Family Planning Unit, Gorewara.
40. Rural Family Planning Unit, Nub.
41. Rural Family Planning Unit, Bawal.
42. Rural Family Planning Unit, Dadola.
43. Rural Family Planning Unit, Mandkola.
44. Rural Family Planning Unit, Nagina.

DISTRICT KARNAL

45. Rural Family Planning Unit, Smalkha.
46. Rural Family Planning Unit, Nilokheri.
47. Rural Family Planning Unit, Radaur.
48. Rural Family Planning Unit, Jhansa.
49. Rural Family Planning Unit, guhla.
50. Rural Family Planning Unit, Bapauli.
51. Rural Family Planning Unit, Kaul.
52. Rural Family Planning Unit, Nissang.
53. Rural Family Planning Unit, Assaundh.
54. Rural Family Planning Unit, Indri.

55. Rural Family Planning Unit, Siwan.
56. Rural Family Planning Unit, Rajaund.
57. Rural Family Planning Unit, Ahar.
58. Rural Family Planning Unit, Ballaha.

DISTRICT AMBALA

59. Rural Family Planning Unit, Bilaspur.
60. Rural Family Planning Unit, Naggal.
61. Rural Family Planning Unit, Mullana.
62. Rural Family Planning Unit, Khizrabad.
63. Rural Family Planning Unit, Sadhaura.

DISTRICT MOHINDERGARH

64. Rural Family Planning Unit, Bond Kalan.
65. Rural Family Planning Unit, Jhojukalan.
66. Rural Family Planning Unit, Kanina.
67. Rural Family Planning Unit, Nangal Chaudhrian.
68. Rural Family Planning Unit, Dochana.
69. Rural Family Planning Unit, Ateli Mandi.
70. Rural Family Planning Unit, Sehlog.
71. Rural Family Planning Unit, Gopi.

DISTRICT JIND

72. Rural Family Planning Unit, Ujhana.
73. Rural Family Planning Unit, Kalyat.
74. Rural Family Planning Unit, Julana.
75. Rural Family Planning Unit, Safidon.
76. Rural Family Planning Unit, Gogrian.

DEMANDS FOR GRANTS

Minister of State for Development (Sh. Shamsher Singh) : Sir, I beg to move –

That a sum not exceeding Rs. 2,97,05,610 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 99,01,870 already voted on account) in respect of charges under head 42-Multipurpose-River Schemes.

Mr. Speaker: Motion moved-

Voices: All the demands be moved together.

Mr. Speaker: Then, the following demands relating to the Irrigation and Power will be deemed to have been read and moved together. However, these will be put to the vote of the House separately.

That a sum not exceeding Rs. 2,97,05,610 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding

the amount of Rs. 9901870 already voted on account) in respect of charges under head 42-Multipurpose River Scheme.

That a sum not exceeding Rs. 1,92,91,470 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 64,30,000 already voted on account) in respect of charges under head 43-Irrigation, Navigation, Embankment and drainage Works (commercial).

44-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial).

That a sum not exceeding Rs. 82,49,820 be granted to the governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of rs. 27,50,000 already voted on account) in respect of charges under head Charges or Irrigation Establishment.

That a sum not exceeding Rs. 5,49,45,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 1,8315,000 already voted on account) in respect of charges under head 98-Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

That a sum not exceeding Rs. 2,56,00,080 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 77,00,000 already voted on account) in respect of charges under head 99-Capital Outlay or Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial).

The following cut motions which have been received in respect of Demand No. 27 and Demand No. 45 will also be deemed to have been read and moved.

DEMAND No. 27

[43-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)];

[44-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)].

1. **Smt. Om Prabha Jain:**

That the demand be reduced by Rs. 11/-

DEMAND No. 45

(98-Capital Outlay on Multipurpose River Schemes).

1. **Smt. Om Prabha Jain:**

(That the demand be reduced by Rs. 11.)

कुछ सदस्य: अगली डिमांडज भी पढ़ दें, सारी इकट्ठी मूव कर दें, जनरल डिस्केशन हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष: ये तो अलहदा अदहदा हैं, उसके बाद सारी मूव कर दी जाएंगी।

चौ. रिजक राम (राई): उन पर डिस्केशन नहीं है।

स्पीकर साहिब, जो पांच डिमांडज हाऊस के सामने डिस्कशन करने के लिए रखी गई है, उन पर अर्ज करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वैसे थोड़े रोज से ट्रैजरी बैंचिज की तरफ से हाऊस में वातावरण बिल्कुल मुख्तलिफ था। इन डिमांडज पर सोचने और विचारने का टाईम जरूर होना चाहिए। लेकिन अचानक मेजर अमीर सिंह ने यह बताया कि कुछ हालात बदल गये हैं.....

ग्राम्य विद्युतीकरण राज्यमंत्री: मैंने तो नहीं बताया (विघ्न) (हंसी)।

चौ. रिजक राम: इस वजह से इन डिमांडज पर कुछ न कुछ बोलना ही चाहिए। स्पीकर साहिब, जहां तक इरीगेशन एं पावर की डिमांडज का सम्बन्ध है, जनरल डिस्कशन के टाईम पर कुछ विचार मैंने प्रकट किये थे और यह जाहिर किया था कि जहां तक हरियाणा प्रान्त के फण्डज का ताल्लुक है, इसमें गवर्नमेंट के सामने पैसे की कमी की वजह से बड़ी मुश्किल है। इस कमी के कारण देश में 70 लाख एकड़ भूमि ऐसी है जो इस वक्त पानी के बगैर बंजर है। उस जमीन को पानी देने का कोई इंतजाम नहीं है। हरियाणा प्रदेश के लोगों को यह आशा थी कि नई सरकार बनने के बाद उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ज्यादा अनाज पैदा करने के लिये ज्यादा सहूलतें मिलेंगी, लेकिन इस तरफ ज्यादा कामयाबी नहीं हो सकी। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो यह नया प्रदेश बना है इसमें अगर किसानों को पानी वगैरा की सहूलतें देने

में हम असमर्थ रहते हैं तो सही तौर पर जनता की हालत को नहीं सुधार सकेंगे और हरियाणा में जो अनाज का संकट है उसमें कंट्रिब्यूट नहीं कर सकेंगे।

(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.)

इसलिये आज हमें बहुत संजीदगी के साथ कुछ सोचने की जरूरत है कि किस ढंग से अपने प्रदेश के रिसोसिजको उसके हित के लिये इस्तेमाल करें। डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं आपके सामने यह एक हार्ड रियलिटी ब्यान करना चाहता हूं कि मुतहिदा पंजाब में हरियाणा के साथ पूरा पूरा इन्साफ नहीं हुआ। और यह बेइन्साफी पानी के मामले में ज्यादा हुआ है। अगर सन् 1947 की फिगर्ज की तरफ हम ध्यान दे तो पता चलेगा कि तब से लेकर अबतक 20 साल के अर्से में पंजाब में पानी की सहूलियतों के सम्बन्ध में बहुत ज्यादा इकदामात उठाए गए लेकिन हरियाणा के लिये बराबर कमी रही और इसको इग्नोर किया जाता रहा है। तकसीम के वक्त 39.63 लाख एकड़ जमीन पानी से सैराब होने वाली जमीन थी, उसमें हरियाणा में सिर्फ 11 लाख एकड़ जमीन सैराब होती थी, ओर पंजाब में 27 लाख एकड़ से भी ज्यादा। लेकिन इस असे में हरियाणा में 11 लाख से बढ़ कर 30 लाख एकड़ जमीन के करीब नहर के पानी से सैराब होनी शुरू हुई, उसके मुकाबले में पंजाब के इलाकें में 55 लाख एकड़ जमीन में पानी मिलने लगा। उसमें भाखड़ कैनाल से इरीगेटिड रकबा

शामिल है। उनका इस तरीके से 28 लाख एकड़ के करीब रकबा 20 सालों में बढ़ा है। जबकि हरियाणा का सिर्फ 19 लाख एकड़ के करीब रकबा बढ़ा है। आप हैरान होंगे कि हमारे इलाके में बहुत से ऐसे जिले हैं जो बिल्कुल ड्राई पड़े हैं जबकि अमृतसर जैसे जिले में 88 फीसदी रकबें तब आबपाशी होती है। यह डिस्पैरिटी पानी के मामले में हमारे इलाके के साथ हुई है।

जहां तक ढ्यूबवैल्ज का ताल्लुक है पंजाब में ट्यूबवैल की फ़ैसिलिटी भी ज्यादा है। सन् 1960 में इंडो-पाक एप्रोमेंट हुआ था उसमें भी पानी का एलोकेशन पंजाब के लिये ही ज्यादा हुआ है। सतलुज-व्यास लिंक प्राजैक्ट भी सन् 1970-71 में कम्पलीट हो जायेगी। इस प्राजैक्ट में 772 मिलियन एकड़ जमीन में पानी लगेगा। उसमें भी हमें 2.50 मिलियन करीब मिलेगा जबकि पंजाब के लिये 450 मिलियन एकड़ पानी मिलने का प्रबन्ध है। डिप्टी स्पीकर साहिब एक बात का मुलाहिजा फरमायेंगे कि पंजाब में सब-सायल का सर्वे करवाया है तो पता चला कि 6.5 मिलियन एकड़ जमीन में पानी जमीन के नीचे है, जिसको हम एक्सप्लायअ कर सकते हैं, चूंकि पंजा के इलाके में तीन दरिया हैं, इसलिये वहां पर पानी बढ़ता रहता है और एबस्वायल की जमीन को ही पानी की सहूलियत मिलती है, क्योंकि वहां पर कुदरती तौर पर पानी ज्यादा है। जहां पर हरियाणा के अंडर-ग्राउंड वाटर का सिलसिला है, उसमें रोहतक, या करनाल का इलाका या कुछ गुडगांव का हिस्सा है, लेकिन इनके इलावा झज्जर, कैथल, रिवाडी,

और महेन्द्रगढ़ आदि के इलाकों में सब-सायल वाटर नहीं है। जब स्टेट की राश्रागेनाईजशन हुई और पंजाब और हरियाणा का सवाल हमारे सामने आया तो पानी की जो एलोकेशन की गई वह भी बेइन्साफी पर मंबनी है। पंजाब के इलाके में जहां पर ट्यूबवैजल लगा कर खेती की जा सकती है और बाग लगाये जा सकते हैं वैसी सहूलियत हरियाणा के लिये नहीं है, इसके बावजूद भी हमें पानी का हिस्सा ज्यादा नहीं दिया गया, मैं चीफ मिनिस्टर साहिब, और इरीगेशन मिनिस्टर साहिब, जो यहां पर तशराफ फर्मा है, उन्हें निहायत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे साथ युनाइटेड पंजाब में पानी के सम्बन्ध में सख्त बेइज्जती हुई है। मैंने इस बारे में सवाल उठाया था लेकिन उसका इस वक्त जिक्र करना ठीक नहीं समझता। मैंने कहा था कि यह डिस्ट्रिब्यूशन बिल्कुल गलत है, हमें हिस्सा के साथ पानी दिया जाना चाहिए। जब आप चण्डीगढ़ का या दूसरी बातों का सवाल उठाते हैं तो मैं आपकी यह भी कहना चाहता हूं कि सबसे अहम सवाल रावी, ब्यास और सतलूज का जो पानी है उसमें हरियाणा को इन्साफ के साथ हिस्सा मिलना चाहिए और जो पहले की एलोकेशन हरियाणा के लिए हुई है, वह चूंकि इन्साफ पर बनी नहीं है, इसलिए मानने से इन्कार कर देता चाहिए। उसको रद्द करने के लिए सरकार को पूरी शक्ति से काम लेना चाहिए, वरना यह सच है कि न तो हम नया डैम बना सकते हैं और न खेतों को पानी दे सकते हैं। अगर हमें रावी, ब्यास और सतलूज में पानी का हिस्सा मुनासिब न मिला तो हमारे इलाके कभी तरक्की नहीं कर सकते। तो डिपटी

स्पीकर साहिब, उस इलाके का सर्वे करवा कर देखा जाए। आप वहां नहर का पानी देर उसके इलाके को सरसबज कर सकते हैं। महेन्द्रगढ़ का जिला है, गुडगांव और हिसार का काफी रकबा है, जींद का काफी रकबा है। इसलिए सरकार को दिलचस्पी लेकर इसे टोप-परायरटी देकर टेक अप करना चाहिए। यह भी देखने में आया है कि गुडगांव और महेन्द्रगढ़ के जिलों में जहां ट्यूबवैल कामयाब होते हैं उसका यह कारण है कि उस इलाके में साहिबी नही ओर कृष्णाती नदियां हैं। इसी तरह हिसार जिले में और जींद वगैरा में जो ट्यूबवैल कामयाब होते हैं वह इसलिए होते हैं कि बग्गर हरिया इधर से गुंजरता है। अगर इन नदियों का बहाव बन्द हो जाए तो वह इलाके बिल्कुल डेजर्ट हो जायेगे। सन् 1958 में राजस्थान की सरकार ने कृष्णावती नही पर डैम बनाया था तो उस मामले की उस वक्त की पंजाब सरकार ने टेक आप किसी और कहा कि राजस्थान की सरकार बांध लगा कर पानी नही रोक सकती क्योकि उस पानी पर हमारे गुडगांव और झज्जर बगैरा के खुशक इलाकों की खुशहाली निर्भर है। अगर वह बन्द कर दिया जाए तो वह इलाके तबाह हो जायेगे। आज भी खतरा इस बात का है कि राजस्थान की सरकार साहिबी और दूसरी नदियां जो उधर से आती हैं। उन पर बांध लगा कर पानी न रोक दें, कयोंकि वहां नई नई स्कीमज बनाई जा रही हैं। डिप्टी स्पीकर साहिब, झज्जर तहसील के हालात से तो आप वाकिफ हैं। राजस्थान से लडवां नाला इन्द्री और साहिबी नदी आती है। इसके अलावा कृष्णावती और कुछ और नदियां महेन्द्रगढ़ गुडगांव और झज्जर के

इलाकों में आती हैं। जिन जिन इलाकों में इन नदियों का पानी फैल जाता है वहां पर नीचे सायल में पानी मिल जाता है और काफ़्त हो जाती है। शायद गोदारा साहिब को उधर जाने का इतफ़ाक नहीं हुआ लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि वह राजस्थान के इलाके में अपने इंजीनियरज को भेज कर यह ता करवाएं कि कहीं राजस्था की सरकार वहां बांध लगा कर उस पानी को रोकने की कोशिश तो नहीं कर रही। यह सवाल इंटरस्टेट मिनिस्टर्ज की कान्फ्रैस में डिसाईट हुआ था कि राजस्थान की सरकार ने जो एक बांध लगा लिया है उसके अलावा और बांध न लगाए और यह चीज उन्होंने भी मान ली थी कि पानी का रास्ता बना कर उसे नीचे छोड़ देंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि और बांध लगाने से हमारे इलाके तबाह हो जायेंगे। अगर इन नदियों में पानी आना बन्द हो गया। वहां पर फिर पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस तरफ खास तवज्जों देने की जरूरत है। यह तो जनरल बातें हैं जो मैंने कही हैं। अब हमारे रिसोर्सिज जो हैं वह थोड़े शब्दों में बताना चाहता हूँ जिनको इस्तेमाल करके हम उस इलाके को पानी दे सकते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिब, हमने कई स्कीमें एग्जामिन करवाई थीं। उनमें से कुछ माईनर और कुछ लिफ्ट इरीगेशन की स्कीमें एग्जामिन करवाई थीं। वह ऐसे हैं कि जो ड्रेन्ज हैं भिडतास, कोटला और उजीना लेक हैं उनको लिफ्ट करके पानी देने की 3 लाख की, 8 लाख की और 12 लाख की स्कीमें हैं। इसके इलावा और बड़ी-बड़ी ड्रेनज हैं उनसे लिफ्ट इरीगेशन के जरिए पानी देने की

स्कीमें हैं। ज्वायंट पंजाब के समय की 75 लाख रूपए की महेन्द्रगढ गुडगांव और हिसार को पानी देने की स्कीम हैं उनको आप देख लें। इसके अलावा भाखडा नगरह है या कुछ दूसरी नहरें हैं उनमें से भी लिफ्ट इरीगेनशन के जरिए अम्बाला के इलाके को पानी दिया जा सकता है जो कि सिर्फ 32 फुट की ऊंचाई पर है। जहां तक पानी की तक्सीम का सवाल है उसकी एलोकेशन भी बहुत हद तक गैरमुनासिब है। जिस वक्त यह एलोकेशन की गई अगर आप देखें तो पंजाब में भी होशियारपुर का जिला ऐसा है जिसको बिल्कुल नजरअन्दाज किया गया और उन इलाकों की पानी ज्यादा दिया गया जहां पर पहले ही ज्यादा दिया जा रहा था। मैं गुजारिश करूंगा कि हरियाणे में जहां पर पानी दिया जा सकता है देना चाहिए। मैंने, डिप्टी स्पीकर साहिब, उस समय स्कीम एग्जामिन करवाई थी और चीफ इंजीनियर को कन्सलट किया था और उस पर मंजूरी भी दे दी थी। चीफ इंजीनियर भी मान गए थे और उन्होंने कहा था यह स्कीम ठीक है। उस स्कीम पर 32 लाख रूपये के करीब खर्च होना था। और उससे 60 हजार के करीब रकबा सैराब होना था। यह बात इससे भी जरूरी है कि जो ड्रेंज का पानी है, उसकी यूटिलाईज किया जाए। डिप्टी स्पीकर साहिब, इरीगेशन एण्ड पावर मिनिस्टर साहिब को खुद तजुरबा होगा कि जहां तक भाखडा नहर के पानपी का ताल्लुक है वह जमीनों के लिए इतना मुफीद नहीं जितना कि वैस्ट्स जमुना कैनाल का है क्योंकि उसमें सिल्ट और मिनरल्ज आते हैं लेकिन भाखडा नहर का पानी इतना साफ है कि उसमें सिल्ट और मिनरल्ज आते हैं

लेकिन भाखड़ा नहर का पानी इतना साफ है कि उसमें सिल्ट बिल्कुल नहीं। इसलिए किसान चाहते हैं कि हमें भाखड़ा नहर की बजाए वैस्टर्न जमुना कैनल का पानी दिया जाए। भाखड़ा की नजर जो है उसमें जाला भी है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि भाखड़ा नहर जहां है उसमें फ्लडज और ड्रेन्ज का पानी आप डालें। उससे एक तो जाला खत्म होगा और दूसरे वह पानी जमीनों के लिए ज्यादा मुफीद होगा। डिप्टी स्पीकर साहिब रोहतक के जिले में बहुत पानी आता है इधर जींद की तरफ से नाई नाले का पानी बड़ी तेजी वसे आता है जो कि करनाल और जींद के इलाकों को काफी नुकसान पहुंचाता है और फिर गोहाना तहसील को भी नुकसान पहुंचाता है। मैं वहां मौके पर जाकर चीफ इंजिनियर को साथ लेजाकर एग्जामिन करवाया था, तो चीफ इंजिनियर साहिब की यह राय थी कि नाई नाले के पानी को जोआना ब्रांच में डाला जा सकता है और वहां से भिवानी के खुशक इलाके में बरसात के दिनों में पानी पहुंचाया जा सकता है जोटाना ब्रांच का वह हिस्सा पक्का है, सिर्फ देखने की यह बात थी कि पानी और डालने से उन लाईनज का नुकसान तो नहीं है वैसे जहां तक लेवल का सवाल था वह स्कीम फीजेबल थी। जब हमारे पास अंडर ग्राउंड वाटर नहीं और कोई मेजर मल्टीपरपज स्कीम टेक अप नहीं कर सकते तो हमारे सामने और कोई चारा नहीं कि जो ड्रेन्ज है डीप्रेसनज है और लेक्स है उन को पूरी तरह इस्तेमाल करें। आप देखें कि मिडवास लेक में कितना पानी जमा हो सकता है और लिफ्ट इरीगेशन दे सकते हैं, गुडगांव में उजीना

ड्रेन राजस्थान तक नुकसान पहुंचाती है उससे लिफ्ट इरीगेशन दे सकते हैं और इसी तरह कोटला के डीप्रेशन और लेक है उनके पानी को पूरी तरह यूटिलाइज करना जरूरी है। इसके अलावा पानी की प्रोपर मैनेजमेंट करने की जरूरत है। आज किसान यानी को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं करता है, उसे वाल्यूम आफ वाटर का कोई ख्याल नहीं और चीफ इंजीनियर और दूसरों की भी राय ली। उनकी राय थी कि पानी को मैयर कर दिया जाए और जितना पानी कोई इस्तेमाल करे उसके मुताबिक आबियाना हो लेकिन इसमें भी काफरी मुश्किल है कि कैसे पैमाना लगाएं। इसे अवायड करने के लिए यह भी राय थी कि अगर स्माल पलाटस बना कर खेतों को पानी दे तो पानी की बचत हो सकती। हमें देखना है कि जो पानी पंजाब के दरियाओं को हमें एलोकेट हुआ है उसे किस तरह बचा कर इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज को देखने के लिए एक भादई कमेटी मुकरर की गई थी जिसके चेयरमेन भाई साहिब चीफ इंजीनियर थे बांसल साहिब, एस ई और महकमा जरायतम के डिप्टी डायरेक्टर मेम्बर थे। उस कमेंटही ने इस चीज को अच्छी तरह देखा की आया हम हरियाणा और पंजाब के इलाकों को फसलों के लिहाज से तकसीन कर सकते हैं कि कहां चावल, कपास और शूगरकेन बगेरा की पैदावार ज्यादा हो सकती है उनके लिए पानी की रेशो ज्यादा मुकरर हो और किस तरह फसलों के और पानी की जरूरत के लिहाज के इन इलाकों को जोनज में तकसीम कर सकते हैं दूसरे इस बात को देखा कि इस लिहाज से पानी का प्रोपर यूज कैसे कर सकते हैं। और

तीसरी बात यह देखने के लिए उन्हें कहा गया था कि पंजाब और हरियाणा के इलाकों में इन दरियाओं के पानी की तकसीम दोबारा करनी चाहिये या नहीं उस कमेटी की रिपोर्ट 1966 में आ चुकी है। उस कमेटी की मेन रिक्मेंडेशनज यह है कि जो तकसीम अब तक पानी की पंजाब और हरियाणा के इलाकों में की हुई है उसमें बेइन्साफी है इसलिए इसकी दोबारा तकसीम की जाए। यह सवाल आज नहीं इस रीआर्गेनाइजेशन से पहले ही ओपन है क्योंकि उसमें बेइन्साफी जाहिर थी और उस कमेटीह कही रिपोर्ट से भी साबित होता था। इसलिए मैं आप से कहता हूँ कि उस रिपोर्ट को देखो कि किस तरह हरियाणा के साथ आप और हम मिल कर इंसाजु करा सकते हैं। एक प्वायंट और कह कर मैं खत्म करता हूँ। ट्यूबवैलज का उसवाल ज्वायंट पंजाब में एग्जामिन करा कर देखा था। चीफ इंजीनियर जिन्होंने सर्वे किया उनहोंने कुछ प्रोजेक्ट तैयार किए थे कि 11 हजार ट्यूबवैलज इन इलाकों में लग सकते है पंजाब में जिन से कृषि रकबा को पानी मिल सकता है और उसकी कीस्ट कोई 7 करोड़ के करीब उन्होनें बताई थी। उन्होनें सिफारिश की थी कि यह सात करोड़ रुपया सरकार बेशक खुद खर्च न करें लोन की शकल में किसानों को दे और किसान खुद पम्पिंग सैटस और ट्यूबवैलज लगाए। उनकी यह भी सिफारिश की कि चार हजार के करीब शैलो ट्यूबवैलज लगा दिए जाए और चार हजार के करीब बारानी इलाकों में जहां बिजली नहीं पहुंच सकी डीजल पंपिंग सैटस लीग सकते हैं उनका अंदाजा था कि इस तरह से कोई 10/12 लाख एकड़ रकबा में आबपाशी

हो सकती है। मैं मानता हूँ कि जहाँ तक ट्यूबवैलज की फ़ैसिलिटीज देने का सवाल है उसमें फंडज बिजली वगैरा की काफी दिक्कतें हैं और इसके अलावा यह भी दिक्कत है कि उन इलाकों में जहाँ पानी की जरूरत है ट्यूबवैलज लगाने का खर्च ज्यादा पड़ता है और औसत तीन हजार के करीब फी ट्यूबवैल कनेक्शन वगैरा देने का पड़ जाता है और जो बाराणी इलाके है वहाँ पानी कॉफ़ि नीचे होता है इस लिए वहाँ खर्च कोई पांच छः हजार के करीब पड़ता है। फिर मांग भी बहुत थोड़ी है क्योंकि हर एक आदमी तो इतना पैसा दे नहीं सकता। सब से अहम सवाल उसी इलाके में है कि किस तरह बिजली देकर पानी दे सकते हैं इस सवाल को अपने स्टेट में ही नहीं दूसरी स्टेट्स में भी एग्जामिन किया गया है। मैं इस चीज को देखने के लिए मद्रास और दूसरी स्टेट्स में गया हूँ। वहाँ इंजीनियरिंग से डिस्कस किया और उनका जो लिटरेचर था वह भी पढ़ा। जो कुछ उन्होंने इस सिलसिले में किया वह मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूँ ताकि सरकार उसका फायदा उठा सके। अभी अभी हरयाणा सरकार ने अपनी इण्डस्ट्रियल पालिसी डिक्लेयर की है और उसमें कुछ फोकल प्वायंट्स अनाउंस किए जो फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक बगैरा में होंगे और इसके साथ साथ यह भी बताया कि कुछ कन्सेशन भी वह इण्डस्ट्री वालों को देना चाहते हैं। जहाँ तक कन्सेशन देने का सवाल है मैं उनके देने का विरोध नहीं करता लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि आपको इस बारे में मद्रास की मिसाल का फालो करना चाहिए जहाँ 25 लाख

ट्यूबवैल्ज देहात में लगे हैं। इस वक्त रुरल इलैक्ट्रिफिकेशन में मामले में मद्रास ही कामयाब स्टेट कही जा सकती है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक बेकटारामन कमेटी मुकर्रर की थी कि वह देखे कि किस तरह दिहात की इलैक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं और इस बात के पेशेनजर कि खर्च ज्यादा है, लोग ट्यूबवैल्ज के कनेक्शन की दरखास्तें हैं वह अनजसटीफाएबल होने की वजह से रिजेक्ट होती है। उस कमेटी ने सिफारिश की कि इसका एक ही तरीका है कि इण्डस्ट्री डिसपर्स हों और यह एक ही जगह नहीं कंसेंट्रेट होनी चाहिए बल्कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं उन में इनको डिसपर्स किया जाए और बिजली को ट्रांसमिशन का खर्च इण्डस्ट्री बरदाश्त करे। मद्रास में यह खर्च इण्डस्ट्री वालों ने ही बरदाश्त किया है। दूसरा कोई और तरीका है ही नहीं रुरल इलैक्ट्रिफिकेशन का क्योंकि कोई भी स्टेट

10.00am

इस पोजीशन में नहीं कि सारा खर्च करके बाहर दिहात में बिजली पहुंचा सके। मद्रास में ट्रांसमिशन लाईन लगाने का जितना भी खर्चा है वहां पर सारा का सारा इण्डस्ट्री ने बरदाश्त किया है। डिप्टी स्पीकर साहिब, दूसरी कोई ऐसी स्टेट या बोर्ड नहीं है जिसने ट्रांसमिशन लाईन का खर्चा उठाया हो। इण्डस्ट्रियलिस्ट लोग जो हैं वे दूर के इलाकों में इण्डस्ट्री लगाने को रजामन्द नहीं हैं। अगर वे दूर के इलाकों में इण्डस्ट्री लगाये तो उनको बिजली भी महंगी पड़ेगी, लाईन का खर्चा अधिक होगा।

वे तो नजदीक के इलाकों में सोनीपत के आसपास के क्षेत्र चाहते हैं। इन इलाकों में इण्डस्ट्री को सेट अप करना कोई खास बात नहीं है। डिप्टी स्पीकी साहिब, मैं तो कहूंगा कि वे दूर के इलाकों में लोहारू जींद आदि इलाकों में अपनी इण्डस्ट्री लगाये जिसने वहां लाईन चली जाने पर वहां के किसानों को ट्यूबवैल्वेज के और दूसरे कनेक्शन दे सकें।

(At this stage Mr. Speaker occupied the chair)

मुझे इसमें कोई एतराज नहीं कि आज सब की निगाह इण्डस्ट्री की तरफ है परन्तु नजदीक के इलाकों की तरफ है। हम को सोचना है कि किस तरह से इण्डस्ट्री पर यह खर्चा डाला जाये। पहले हमने एक तजवीज की थी कि हाई टेन्शन बिजली के रेट हरियाणा और पंजाब में सब से कम है। इसलिए हमने बोर्ड की एक तजवीज पेश की थी कि इसके रेट बढ़ा दिये जायें उस समय हरियाणा और पंजाब एक था उससे जो हमें सालाना आमदनी होती वह 90 लाख रुपए की होती। जिस वक्त हमने यह तजवीज पेश की तो यहां के इण्डस्ट्रियलिस्ट ने शोर मचाना शुरू किया कि चह ही होना चाहिए। फिर उन्होंने एक कान्फ्रेंस की और उस कान्फ्रेंस में मैं भी गया, लेकिन इसको मंजूर नहीं किया गया। मैंने अच्छी तरह से चह समझा है और एटलस फैक्टरी हमारे पास सोनीपत में है और दूसरी फैक्ट्रियां भी हैं उन पर बिजली का जो खर्चा है हरेक फैक्टरी का महीने का वह मजदूरों की तनखाह का हजारवां हिस्सा भी नहीं है। लेकिन दूसरी

तरफ जो 16 अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग स्कीमें है उनके तहत जो रुपया सैक्शन हुआ था वह हमारे हरियाणे मे पांच फिसदी भी खर्च नही हुआ। आप यह रिपोर्ट पढ कर हैरान होंगे कि उसमे क्या लिखा गया है। सन् 1949-50 मे ग्रे-मोर-फूड के तहत दिल्ली की सरकार से हमें रुपया मिला था और वह 66 लाख रुपया हरियाणे के इलाके के लिए मिला था और 45 लाख रुपया पंजाब के इलाके के लिए मिला था वह रुपया ग्रे-मोर-फूड के तहत दिल्ली की सरकार ने इमदाद के रुप मे दिया था और यह 36 लाख रुपया का जो प्रोजैक्ट कई साल पहले बनता था मालोट प्रोजैक्ट, दिल्ली की मेन ब्रांच आदी इनके लिए खर्च होना था उन पर सिर्फ अढाई लाख रुपया के करीब खर्च हुआ। आज कल फ़ैक्टरी के लिए बिजली इण्डस्ट्रियलिस्ट को किसी भी कीमत पर मिलें चाहे उसको हजारों रुपये खर्च करके कनैक्शन लेना पड़े वह लेने को तैयार है।

यदि आप किसी इण्डस्ट्रियलिस्ट को कनसैशन देना चाहते हैं और उसको इन्डस्ट्री लगाने के लिए एट्रैक्ट करना चाहते है तो आप दूर के इलाकों के लिए करें। हरियाणा तो ऐसा प्रान्त है जहां पर कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे सोनीपत, बहादुरगढ़, फरीदाबाद आदि जहां से उनको हर सहूलियत है, वहां से मार्किट नजदीक है। दिल्ली की मेनरोड के भी पास है, वहां पर उनको कनसैशन देने से क्या फायदा? आज क्यों नही वे खेमकरण के इलाके मे जाकर फ़ैक्टरी लगाना चाहते है? इण्डस्ट्रियल हमेशा

अपनी सहूलियत को देखता है। इन इलाकों में तो बिना कन्सैशन दिये ही फ़ैक्ट्रियां लग सकती हैं। काटेज इन्डस्ट्रीज भी उन्हीं इलाकों में लगानी चाहिए।

आज मद्रास के विषय में मैंने कहा कि वह स्टेट टौप इलैक्ट्रीफ़ाईड एरिया है। इसका सब से बड़ा कारण यही है कि वहां ट्रांसमिशन लाईन का खर्चा इन्डस्ट्री ने बरदास्त किया। आप स्टेट के खर्चे से कभी भी ट्रांसमिशन लाईन का खर्चा पुरा नहीं कर सकते।

एक और बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वह है बैटरमेंट लेवी की। मेरा यह सुझाव है कि बैटरमेंट लेवी को एबालिश कर दिया जाये जो कि हरियाणा के लोगों के साथ बिल्कुल बेइन्साफी होती है। 33 करोड़ रुपये की बैटरमेंट लेवी हरियाणा के लोगों से ली जानी है जिसमें भाखड़ा कैनल भी शामिल है इस हिसाब से यह वसूल की जाती है सन् 58-59 में बैटरमेंट लेवी शुरू हुई और 11 करोड़ रुपये से ज्यादा वसूल हो चुकी है। बैटरमेंट लेवी गुड़गांव और जींद और रोहतक के इलाकों पर भी लगाई गई है। वह अभी तक छिड़ा भी नहीं है, शुरू भी नहीं किया। गुड़गांव करनाल या सोहाना लिफ्ट इरीगेशन स्कीम जो है इनका पता ही नहीं कि आया 15 साल के बाद भी इनकी टेक अप कर सकेंगे या नहीं लेकिन इसके लिए प्रोजेक्ट बनाए गए, एस्टिमेटस बनाए गए और खर्चा वसूल करना शुरू कर दिया गया है। स्पीकर साहिब, आप हैरान होंगे कि इस रुपये में जो इन्स्ट्रूमेंट भी बनता था वह

भी उसी दिन से लेना शुरू कर रखा है। स्पीकर सहिब, यदि आप पंजाब के अन्दर खेमकरण डिस्ट्रिक्ट को, जालन्धर ब्रांच को या और कई नहरों को देखे जो पक्की की गई है तो आप को मालूम होगा कि उनको पक्का कराने का खर्च एंटी-वाटर लागिंग स्कीम्ज और फ्लड की मद में डालकर किया गया है। लेकिन इधर री-माडलिंग में इस खर्च को डाल दिया तो यह नाजायज तौर पर यहां के किसानों से वसूल किया जा रहा है। स्पीकर साहिब वित्त मन्त्री जी शायद अपनी तकरीर में फरमाएं कि रिजक राम को जब जब मोका मिला था तो इन्हे सम्भाल लेना चाहिए था। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने यह सवाल पूरा एग्जामिन किया था अपने टाइम में और मैंने लिखा था कि यह जो बैटरमेंट लैवी ली जाती है यह मनसूख होनी चाहिए और मैंने उस वक्त अपना यह नोट चौधरी चांद राम जी को जो कि उस वक्त भी कांग्रेस मिनिस्टरी में थे, चौधरी रणबीर सिंह जी को और श्रीमति औम प्रभा जैन को दिखाया था और सब के उस पर दस्तखत करायें थे चीफ मिनिस्टर सहिब ने भी यह बात कही थी कि यह सवाल दोबारा कैबिनेट में पहुंचे। मगर ज्यों ही यह दोबारा कैबिनेट में जाने वाला था, प्रभाकर जी की दया से गवर्नमेंट उस वक्त टूट गई और हम वह आखिरी फैसला कर नहीं सके मेरे भाई शिव राम जी बार बार 20 साल की बात करते हैं। वे भी तो इधर ही थे आज कौन सी बात हो गई यदि वे आज इधर बैठे हैं। खैर, मैं तो 20 साल की बात नहीं करता। मैं तो सिर्फ 2 साल के असेस की बात करता हूं जिसमें कि मैंने इस सवाल को एग्जामिन करके

आवाज उठाई थी कि यह मनसूख होना चाहिए। अगर एक डेढ महीना हमारी गवर्नमेंट रह जाती तो मनसूख करने का विचार था।

चौधरी शिव राम शर्मा: आन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर। आनरेबल मैम्बर साहिब ने अभी फरमाया कि यदि कुछ दिन उनकी गवर्नमेंट और रह जाती तो वे इसको कर देते।

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। एक खान के पास एक संजीदा नौकर था। खान साहिब चाहते थे कि जब वे अपने नौकर को पुकारें तो वह 'हां जी' कहे। परन्तु नौकर को आदत नहीं थी। शायद कोई जाट था या उसको शुरू से ही आदत नहीं थी। एक दिन खान साहिब अपने मेहमानों के साथ बैठे थे और नौकर कुछ बोझा लेकर आया। खान साहिब ने जब उसे पूछा कि बोझा ले आया तो उसने कहा कि 'हां' ले आया। शायद वह बेचारा बोझे के कारण और गुस्से में था। खान को यह बुरा लगा और उसने कहा कि आज फिर तुमने 'जी' नहीं कहा। नौकर ने उत्तर दिया कि बोझ तो डालने दो, फिर 'जी' भी कह दूंगा। तो, स्पीकर साहिब, कहने का मतलब यह कि यदि टाईम मिल जाता तो 'जी' भी कह देते। 20 साल का जहां तक ताल्लुक है, इसमें तो लाल मूलचन्द जो भी शामिल हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब भी शामिल हैं क्योंकि वे तो काफी अर्सा वजीर रहे और दौलता साहिब भी शामिल हैं।

परन्तु मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो सिर्फ यह कहता हूँ कि अगर कुछ कमी रह गई है तो उसको दूर करना चाहिए और अगर पहले बेइन्साफी होती थी तो अब इन्साफ करना चाहिए। और यदि हरियाणा के साथ भी कोई बेइन्साफी हुई है उसको भी दूर करना चाहिए। मैंने दो बातें बेइन्साफी की बताई हैं। एक तो एलोकेशन आफ वाटर की और दूसरी बैटरमेंट लैबी की। इसके आलावा एक और भी बे-इन्साफी की तरफ तवज्जों दिलाऊंगा वह है भाखड़ा के पानी की तकसीम। जब यह प्राजैक्ट बना तो उस वक्त यह निश्चय हुआ था कि 23 लाख एकड़ के लिए पानी हरियाणा को दिया जाएगा और 8 लाख एकड़ जमीन के लिए पानी पंजाब को दिया जाएगा लेकिन 1948-49 में जब तकसीम हुई तो 28 लाख एकड़ तो हमरा कर दिया गया और पंजाब का 8 लाख एकड़ से 27 लाख एकड़ तक बढ़ा दिया गया। ये ऐसी बातें हैं जो यदि पहले नहीं हुई तो अब तो हो जानी चाहिए। मैं, स्पीकर साहिब, आपका ज्यादा टाईम न लेता हुआ आपका शु क्रिया आद करता हूँ और सरकार से कहता हूँ कि वह इस तरफ ध्यान दे और जहां इन्साफ का तकाजा हो वहां इन्साफ करें। किसी तरह से हम एमरजैन्सी और शार्ट टर्म मैयर्ज लेकर इनका हल करें। हमें खुशी है कि राव साहिब की सरकार बनी है, जैसे कि मेरे दोस्त उधर से कहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वे अपनी फौजी तजुरुबे से, जेल जाने के तजुरुबे से और दूसरे तजुरुबों से जहां जहां हरियाणा के साथ बे-इन्साफी हुई है उसमें वह इन्साफ से काम लेंगे।

श्री अध्यक्ष: बात यह है कि साढ़े ग्यारह बजे के बाद किसी मैम्बर को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि आधे घंटे में मिनिस्टर साहिबान भी बोलेंगे और 12 बजे गिलोटिन लगना है। इसलिए या तो उस मैम्बर थोड़ा थोड़ा बोलें या एक ही आदमी सब कुछ कह लें।

श्रीमती लेखवती जैन: स्पीकर साहिब, जिले के बारे में, पांच पांच मिनट तो प्रत्येक मैम्बर को बोलना ही पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: वह तो ठीक है, परन्तु टाईम भी तो हो।

श्रीमती लेखवती जैन: ठीक है, फिर जितना वक्त आप देंगे, उतना ही सही।

श्री अध्यक्ष: अच्छी बात, फिर बोलिए।

श्रीमती लेखवती जैन (नागल): जनबा स्पीकर साहिब, जहां पर सारे हरियाणा में पानी की कमी है, नहरों की कमी है, ट्यूबवैल्ज की कमी है वहां पर अम्बाला जिले में तो मैं कह सकती हूं कि चाही जमीन बहुत ही कम होगी वरना बारानी ही बारानी है। पानी का नाम नहीं। हां, एक बात है, स्पीकर साहिब। अगर वहां पानी है तो बेशक उस जिले के गांवों को डुबोने के लिये चौमासे में पीन आ जाता है, मगर खेती-बाड़ी के लिये देखने को पानी नहीं है। यहां तब कि अम्बाला जिले में जमीन की आबपाशी के लिये ही नहीं, पीने के पानी की भी बहुत जरूरत है क्योंकि इसकी वहां बहुत कमी है। इन हालात में मैं इरीगेशन मिनिस्टर साहिब से

यह रिक्वैस्ट करूंगी कि वह खासतौर से अम्बाला जिले की तरफ ध्यान दें क्योंकि वहां पर बिल्कुल पानी नहीं है। आज से दो तीन साल पहले तो इतना ज्यादा पानी की जरूरत महसूस नहीं होती थी क्योंकि बारिशें हो जाया करती थीं परन्तु दो तीन साल से बिल्कुल वर्षा नहीं हुई इसलिये, स्पीकर साहिब, वहां पर इरीगेशन के लिये पानी के लिये ट्यूबवैल्ज की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर एक और बात है। बेचारे गरीब जमींदार किसी तरह से यदि वहां पर ट्यूबवैल्ज लगाना चाहते हैं तो पानी वहां पर बहुत नीचाई पर है। स्पीकर साहिब, पानी बहुत नीचे है इसलिये जमींदार वहां पर ट्यूबवैल्ज किस तरह से लगा सकता है—उसको बड़ी दिक्कत है। इसकी वहां पर बड़ी सख्त जरूरत है और जो ट्यूबवैल्ज लगेंगे वे गवर्नमेण्ट की तरफ से लगाने चाहियें क्योंकि पानी बहुत नीचे है और जमींदार का कई बई हजार रूपया ट्यूबवैल पर लग जाता है। इस तरह उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्पीकर साहिब मैम्बर साहिबान आपस में बातें कर रहे हैं और जो मैं कह रही हूं वे नहीं सुनते उनका ध्यान सुनने की तरफ नहीं है

श्री अध्यक्ष: देखिए, श्रीमती लेखवती जैन बोल रही है, आप बातें न करें।

श्री मंगलसैन: स्पीकर साहिब, आपने फरमाया कि जब तक लेखवती जी बोल रही है तब तक बातें न करें, उसके बाद आपकी तरफ से बातें करने की इजाजत है (हंसी)।

श्रीमती लेखवती जैन: स्पीकर साहिब, अम्बाला जिला में नहरों का नाम तक नहीं है। नरवाना ब्रांच का कुछ हिस्सा जो राईट साईड पर है, वह अम्बाला जिले की तरफ लगता है। उससे इस इलाके को नी दिया जा सकात है मगर इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। नगर इस इलाके की जमीन में से गुजरती है और उसको पानी नहीं दिया जाता, यह कितने अफसोस की बात है।

उसके अलावा अगर कहीं थोड़ा बहुत पानी लगता भी है, तो वह भी जमींदारों को वक्त पर नहीं दिया जाता। कुछ दिन हुए अम्बाला तहसील के कुछ जमींदार आए, जिन की खेतों को पैदावार सिर्फ चावल है और वे पानी का टैक्स देते हैं, लेकिन उनको पानी नहीं दिया जाता। अगर पानी थोड़ा है तो थोड़ा ही मिलना चाहिये लेकिन मिलना तो जरूर चाहिए। लेकिन मिनिस्टर साहिबान कहते हैं कि हम पानी लाये कहां से। हमारे अम्बाला जिला में टांगरी नदी है अगर वहां बांध लगाया जाए तो बहुत कुछ मसला हल हो जाता है। इरीगेशन के अलावा पीने का पानी भी मिल सकता है।। इस तरह दोनों मसले हल हो सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस तरफ हमारी गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं जाता। अगर किसी को सही तौर पर हकूमत करनी है तो सबसे पहले पब्लिक को सहूलतें देनी चाहियें। किसी अन्य मैम्बर के बारे में (शोर) स्पीकर साहिब, मैम्बर साहिबान का ध्यान किसी और ही तरफ है, मेरी बात को सुनते ही नहीं।

स्पीकर साहिब, इसके अलावा मेरे अम्बाला जिला के अन्दर टांगरी नदी है। खेती के लिये तो पानी नहीं मिलता लेकिन कभी कभी जनता को डूबोने के लिये पानी मिल जाता है। इस नदी में कभी इतना पानी होता है कि गांव डूब जाते हैं, घर गिर जाते हैं। गरीब जमींदारों ने मुश्किल से कोई ट्यूबवैल लगाया हुआ है वह भी खराब हो जाता है। इसलिये हमारी गवर्नमेंट टांगरी नदी पर बांध बनाने का इन्तजाम कर दे, ताकि पानी दिया जा सके। मैं गवर्नमेंट से दरखास्त करती हू कि इस तरफ ध्यान दे जो नदियां जमीन को बेकार करती हैं वहां पर बांध बरूर लगना चाहिये। जो टांगरी नदी का साईफन है उसमें मिट्टी भर जाती है। अगर जमींदार अपने गांवों का बचाने के लिये इंतजाम करते हैं तो उनको अरैस्ट किया जाता है। गवर्नमेंट इस बात का ध्यान नहीं करती कि इन जमींदारों का पानी से बचाया जायें।

इसके अलावा मैं कहना चाहती हूं कि जो घग्गर नदी की स्कीम है, वह जल्दी से जल्दी बननी चाहिए ताकि इस इलाका को पानी मिल सके। न वहां ट्यूबवैलज है और न ही नहरें हैं। अम्बाला जिला दूसरे जिलों के मुकाबले में खासतौर पर पीछे है और पानी के लिहाज से तो बहुत पीछे है।

अब मैं इंडस्ट्रीज के बारे में जिक्र करना चाहती हूं। जहां इंडस्ट्रीज की सारे हरियाणा प्रान्त में जरूरत है वहां खासतौर से देहात में ज्यादा जरूरत है। देहात में जो लैण्डलैस लबरर्ज हैं उनको कोई काम नहीं मिलता जो स्माल स्केल और

काटेज इंडस्ट्री है उसको बिजली को पूरी पूरी सहूलियत दें, लेकिन बिजली के न होने के कारण कोई खस तरक्की नहीं है। जो थोड़े बहुत ट्यूबवैजल किसी ने हिम्मत करके लगा लिये हैं उनको भी बिजली नहीं मिलती और वह बिजली के बिना बेकार पड़े हैं। इसलिये मैं कहना चाहती हूँ कि इस इलाके को पानी दिया जाये

श्री ओम प्रकाश: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहिब इन्होंने अम्बाला शहर के बारे में ही बातें की हैं क्या जो बाकी

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

श्रीमती लेखवती जैन: नहीं, मैंने अम्बाला के लिये कोई बात नहीं की, मैंने तो देहातों के लिये बात की है, आपने सुना ही नहीं कि मैंने क्या कहा

श्री ओम प्रकाश: जिला अम्बाला में वाटर लेवल कितना है? मैं पूछना चाहता हूँ कि अम्बाला में पानी नहीं है और जगाधरी में 25 फुट पर पानी है। (Interruption) यहां क्यों नहीं है (Interruption)

श्रीमती लेखवती जैन: जनबा स्पीकर साहिब, मैं इरीगेशन मिनिस्टर से यह मांग करती हूँ कि इस तरफ ध्यान दें क्योंकि अनाज की बहुत जरूरत है लास्ट ईयर भी गेहूँ का भाव 65 रूपये क्विंटल था लेकिन आज 110 रूपये क्विंटल है।

श्री प्रभु सिंह (एस.सी.) (बरवाला): स्पीकर साहिब, यह डिमांड हमारे सामने गवर्नमेंट ने अपने हालात के मुताबिक रखी है। लेकिन मैं इसके बारे में कुछ कहे बगैर रह नहीं सकता। पुराने जमाने में जैसे मंदिर में जाना जरूरी होता था वैसे ही आज शराब पीना जरूरी है और इसे आजकल आबे हयात कहा जाता है। और यह मिनिस्टरी भी इसे आबे-हयात ही समझती है क्योंकि इसके बनते वक्त इसका बेतहाशा इस्तेमाल हुआ है। और अब भी होता होगा। मालूम होता है कि यहां बैठे हुए एक या दो ही मिनिस्टर ऐसे गुनाहगार बचे हैं जो इसे इस्तेमाल न करते हों बाकी सारे मिनिस्टर बड़े पाक साफ बैठे हैं और बराबर आबेहयात का लुत्फ लेते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष: यह तो इरीगेशन और पावर से सम्बन्धित है।

श्री प्रभु सिंह: जी हां, जो पैसा इरीगेशन और पावर में और उसकी डिवैल्पमेंट में खर्च होना था वही इन्होंने शराब पिला पिलाकर इतने मिनिस्टर बनाने में खर्च कर लिया और बराबर खर्च करते जा रहे हैं। इसीलिये यह बातें इस डिमांड से सम्बन्धित हैं। जिस दिन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल आया तो जनबा खामोशी छाई हुई थी। मैं कहता हूँ कि जहां पर इमानफरोशी का बाजार गर्म हो वहां यह कैसे कह सकते हैं कि यह गवर्नमेंट और आबेहयात का मजा लेने वाले लोग ईमानदार हैं.....(विघ्न)

एक आवाश: यह बिल्कुल वाहियात बातें कर रहे हैं।

श्री प्रभु सिंह: मैंने चीफ मिनिस्टर साहिब पर इल्जाम नहीं लगाया लेकिन जो कुछ हो रहा है उसमें आप भी शामिल हैं और हम भी शामिल हैं। इस ड्रामें में जो यहां हो रहा है इसमें बाहिर के लोगों को छोड़कर और अफसरान को छोड़कर हम सब शामिल हैं। अब मैं कुछ बातें इरीगेशन के बारे में कहना चाहता हूं। जहां पर स्पीकर साहब, बैकवर्ड एरियाज हैं, इरीगेशन की दृष्टि से उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उस तरफ मैं इस गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि यह गवर्नमेंट खासतौर से धन दे। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि जो जमीनें कस्टोडियन से सस्ते भाव में ले कर लैंडलैस किसानों को महंगे भाव में बेची हैं उनकी तरफ पानी का खास प्रबन्ध करना चाहिये ताकि उनको कुछ फायदा हो सके।

जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है मैं उकलाना मिल के बारे में कहना चाहता हूं कि उस मिल की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि अभी तब उसमें सिवायें चारदीवारी के और कुछ नहीं बना है। यह मिल उकलाना के किसानों और मजदूरों की मिल है, इसकी तरफ खासतौर से ध्यान देकर इसे जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए। शहरों में तो जो भी इंडस्ट्री शुरू की जाती है उसे 6 महीने के अन्दर पूरा कर दिया जाता है लेकिन इस उकलाना मिल को शुरू हुए बहुत दिन हो गए लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई।

जनबा स्पीकर साहिब, यह देखने में आता है कि करोड़ों रूपया की रकम बजट में प्रोवाइड होती है, उसमें से सिर्फ़ पैसे वाले ही फायदा उठाते हैं, गरीब किसान या हरिजन फायदा नहीं उठा पाते। अगर कोई एक हजार से ऊपर की रकम लेना चाहे तो 2000 रूपये लेने वालों को 4000 रूपये की रजिस्ट्री करनी पड़ती है तब जाकर कहीं रूपया मिल सकता है मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ यही है, स्पीकर साहिब, कि यह जो रूपया रखा जाता है उससे सरमाएदार को ही फायदा होता है।

स्मालस्केल इंडस्ट्री में गांवों में जो टोकरी बनाने का और मूज बांटने का काम है उसकी उन्नति करने के लिये स्टैप्स उठाए जाने चाहिये।

जहां तक स्कूलों का सवाल है मेरे से पहले बोलने वाले कई साथियों ने पहले कह दिया है कि स्कूलों को जो अपग्रेड किया गया वह कांग्रेसियों के हल्के में नहीं किया गया बल्कि स्कूलों के अपग्रेडिंग में सौतेली मां का सलूक किया गया। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसा नउहो इस इरीगेशन के मामले में भी कि कांग्रेसी मैम्बरो के हल्कों में पानी न दिया जाए। जनबा, आप के जरिए मैं इस गवर्नमेंट को फिर यह कहना चाहता हूं कि इसे इन्साफ के साथ जनता के साथ सलूक करना चाहिए और लोगों की उन्नति में किसी प्रकार की कौताही से काम नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री लाल सिंह (नारायणगढ़): जनाब, स्पीकर साहिब मैं आपके जरिए अपनी इस सरकार को यही कहना चाहता हूं कि जहां पर नहर चल रही है, वहीं पर ट्यूब-वैल दे दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां नहर नहीं है वहां पर ट्यूबवैल्ज दिए जाने चाहिए। हम भी जमींदार हैं, और हमारा इलाका नारायणगढ़ ऐसा इलाका है जहां अधिकातर जमींदार ही रहते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब भी जमींदार हैं, इसलिए उनको यह चाहिए कि जो जमींदार का जायज हम है वह उसे दें। इस सरकार का यह पहले फर्ज होना चाहिए। कई गांव ऐसे हैं जहां न नहर है न ट्यूबवैल्ज है और पीने के पानी का भी सरकार इंतजाम नहीं कर रही, हालांकि आजादी मिले को 20 साल हो गए हैं। दूसरी तरफ यह हालत है कि चण्डीगढ़ जैसे शहर में एक एक आदमी के घर पर 35/35 टूटियां हैं। स्पीकर साहिब, जहां पर सरकार गरीब देहातियों के लिए पीने के पानी का भी प्रबन्ध नहीं कर सकती वहां लोग कैसे यह समझें कि यह सरकार हमारी अपनी है। स्पीकर साहिब, तहसील नारायणगढ़ में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां से तीन तीन चार चार मीलों पर लोगों को पीने का पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि अगर कांग्रेस सरकार ने गलती की है तो आप उसकी सुधार ले और वहां लोगों के हाल पर रहम करें। मेरे इलाके में रेतीली जमीन है, अगर वहां पर आप पानी दे दें तो मरे हुए आदमियों में जान डाल देंगे। स्पीकर साहिब, जो भी सरकार हो उसका फर्ज बनता है कि वह पिछड़े हुए इलाकों की तरफ भी ध्यान दें। जब मैं इलैक्शन के

लिए खड़ा हुआ था तो यह बात चल रही थी कि वहां पर दो करोड़ रूपए का डैम बनेगा और वहां पर जमीनों का पानी दिया जाएगा। अब पता नहीं वह स्कीम कोल्ड स्टोरेज में रख दी गई है। मैं निवेदन करूंगा कि अगर वह डैम वहां पर बना दिया जाए तो वहां पर लोगों की जमीनें बच जाएंगी। अगर आपके पास देहातों में कुएं लगाने के लिए भी पैसे नहीं हैं तो कम से कम आप टोभे ही खुदवा दें। ताकि बरसात में वहां पर पानी इकट्ठा हो जाए और लोग उसको ही पी लिया करे। आखरी बात यह है कि नहर नहीं तो ट्यूब-वैजल वहां जरूर देने चाहिए। धन्यवाद आपका।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (थानेसर): स्पीकर साहिब इरीगेशन के मुताल्लिक मैं भी कुछ कहाना चाहूंगा। आप ट्यूबवैजल के कुनैक्शन के लिए जनता मारी मारी फिर रही है, हाउस में सब भाइयों ने बताया है कि उनके इलाकों में डट्यूब-वैजल को कुनैक्शन न मिलने की वजह से पैदावार का बहुत नुकसान हो रहा है। लोगों ने ट्यूब-वैजल पर खर्चा करने के बाद दो दो सालों से टैस्ट रिपोर्ट्स दे रखी हैं लेकिन उनको कनैक्शन नहीं मिलता। बिजली के महकमे में रिशवत का यह हाल है कि लाइन-मैन से लेकर एस.डी.ओं. तक जब तक चढ़ावा नहीं चढ़ता तब तक कोई काम नहीं होता। इसके अलावा ठेकेदार भी उन्होंने अपने मुकर्रर किए हुए हैं। जब तक कोई उनसे काम न करवाए तब तक उसे कनैक्शन नहीं देते। फिर बहुत सी जगहों पर जमींदारों का कहा

जाता है कि कनेक्शन लेने के लिए बिजली के खम्भों का अपनी जेब से प्रबन्ध करो। एक-एक जमीदार को हजार-हजार रूपए के खम्भे देने पड़ते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब जमीदार खम्भे देता है तब बिजली कहां से आ जाती है। स्पीकर साहिब, यहां पर ही बस नहीं, जमीदारों से खम्भों का साईट तक ले जाने का किराया भी वसूल किया जाता है। यह जो इस किस्म की अंधेरगर्दी है यह खत्म होनी चाहिए और जिन लोगों ने टैस्ट रिपोर्ट्स दे रखी हैं उनको जल्दी से जल्दी कनेक्शनज दिए जाएं। मैंने सुना है कि लाडवा और रादौर ब्लाक में एक हजार ट्यूब-वैल्ज लगाए जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे थानेसर ब्लाक में ट्यूब-वैल्ज की बहुत कमी है। वहां पर भी ट्यूब-वैल्ज लगवानेकी कृपा करें। मेरे हलके में एक दमखेड़ी गांव है, जो कि ऐक्स मिलिटरी-मैन का गांव है और जहां के बहुत से आदमी अब भी आर्मी में हैं। उस गांव के पास से नहर गुजरती है लेकिन उनको पानी नहीं मिलता। उस सारे गांव के जिम्मे तबाबियां है जिनकी अदायगी वह इसलिए नहीं कर सके क्योकि उनको पानी न मिलने की वजह से पैदावार बहुत कम होती है। पिछले दिनों उनकी जमीनी नीलाम होने लगी थीं लेकिन एस.डी.ओं साहिब ने उसके ऊपर मेहरबानी की और उन्हें एक और मौका दे दिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन गांवों के पास स नहर गुंजरती है उनको पानी दिया जाए। हमारे खादर के इलाके में स्पीकर साहिब, सेम दूर करने के लिए ट्यूबवैल्ज लगाए गए है। उनकी वहज से फायदे को बजाए उस इलाके का सत्यानाश हो गया है। अब फिर गवर्नमेंट ने

कोई स्कीम बनाई है और वहां और ज्यादा ट्यूबवैलज लगाए जा रहे हैं। वहां से पानी निकाल कर रोहतक और हिसार में ले जा रहे हैं। आज, स्पीकर साहिब, वहां का जमींदार बड़ा दुखी है। वहां पर हालत यह हो गई है कि कुएं जो हैं उनमें पीने के लिए भी पानी नहीं रहा। इसलिए इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

स्पीकर साहिब, कोल्ड स्टोरेज के लिए इन्होंने रात के लिए कनेक्शन दे रखे हैं। लेकिन वह दिन में भी चलते हैं, बिजली वालों के साथ मिलकर सारा काम होता है। इसलिए, क्यों नहीं सीधे तौर पर उनको दिन का कनेक्शन भी दे दिया जाता। आप के अफसरों को भी पता है और आप को भी पता है इन बातों का इसलिए उनको रैगुलर कनेक्शन दे दिया जाए तो अच्छा है ताकि कुर्रप्शन बंद हो। हम आपसे उम्मीर करते हैं कि आप हमारे साथ शामिल होंगे (शोर).....आपमें एक आज शामिल हो जाते लेकिन आपकी और हमारी बदकिस्मती (शोर) दो चार दिन की बात है (शोर) स्पीकर साहिब, में अर्ज करना चाहता हूं कि ट्यूब-वैल की तरफ खास ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि जब तक कनेक्शन नहीं मिलेंगे पैदावार नहीं बढ़ सकती है लेकिन जिस तरह के काम आप कर रहे हैं उससे न पैदावार बढ़ सकती है और न ही हरियाणा की तरक्की हो सकती है। आप देख रहे हैं कि सारी मिनिस्टरी अपनी मौजों में लगी हुई है मगर गरीब जनता मर रही है। आपको जनता की तरफ ध्यान करना पड़ेगा और अगर आप नहीं करेंगे तो जनता आपको उखेड़ कर रख देगी। पैदावार

बढ़ाने के लिए इरीगेशन का इंतजाम करना जरूरी है लेकिन कहते हैं पैसा नहीं है। पता नहीं इतनी लम्बी चौड़ी मिनिस्टरी के लिए और मेम्बरान को नीलामी पर चढ़ाने के लिए और उन्हें डलहौजी, शिमला में ल जाकर होटलों में रखने के लिए इतना रूपया कहां से आ रहा है। यह इतना रूपया जो 25 मिनिस्टर बना कर बरबाद कर रहे हैं उसे इरीगेशन के लिए खर्च करना चाहिए था और मिनिस्टरों की जड़ों में पानी देने की बजाए किसान के खेतों को पानी देना चाहिए ताकि यह अन्न संकट टले, लेकिन यह मिनिस्टरी का संकट टाल रहे हैं.....(शोर).....मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आप इन मिनिस्टरों को ब्लाकों में भेज दे और इरोगेशन का काम इनके सपुर्द कर दें ताकि यह देखें कि कहां पानी की कमी है टयूब-वैल्ज की जरूरत है, तनखाह इनको दे दो, स्टाफ न दो और बेहतर होगा कि कारे देने की बजाए इन्हें साइकल दे दें ताकि इनको खाहमखाह के दौरे न पड़े (शोर)..... तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इनको किसान को आबपासी के लिए पानी देने की तरफ ध्यान देना चाहिए और किसान के मसलों को हल करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह वजीर साहिबान मेरी इन बातों को मानेंगे और खास तोर पर श्री पेहलू इन बातों के काम करने के काबिज ही हैं(शोर).....मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि थानेसर ब्लाक में भी टयबवैल्ज लगाए जाएं, दूसरे मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन मिनिस्टरों को हिदायत कर दे कि वह ब्लाको में जाकर काम करें या फिर इनको चण्डीगढ़ में बंदकर दे ताकि कारों और पेट्रोल का खर्च तो बच जाए और यह रूपया

मिनिस्टर्स की डिवलपमेंट की बजाए हरियाणा की डिवलपमेंट पर खर्च किया जाए।

श्रीमती प्रसन्नी देवी (इन्दरी): स्पीकर साहिब, आज हाउस के सामने पानी और बिजली की मांगे पेश हैं। आज के हालात के मुताबिक और देश के अन्न संकट खते हुए किसान को पानी दें, चाहे नहरों से दें चाहे ट्यूबवैल्ज को कनेक्शन दे कर दें, लेकिन फसलों का पानी देना जरूरी है ताकि पैछावार बढ़ सके। सरकार ने मेरे इलाके में ट्यूबवैल की स्कीम शुरू की हुई है और उनकी नालियों के गांवों के चारों तरफ जाल फैला दिए हैं और मेरे इलाका के कम से कम 60/70 गांव इन ड्रेनों से बरबाद हो गए हैं। चारों तरफ तो ट्यूब-वैल्ज की नालियां हैं लेकिन जिन लोगों के खेतों में से वह गुजरती है उनको उनमें से पानी लेने का हक नहीं है। उन नालियों की वजह से उन लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया है। साल में छः महीने तो उनकी फसलें जमना की और दूसरी ड्रेनों की, जिन पर पुल नहीं हैं, मार में आ जाती है और बाकि छः महीने पानी न मिलने से फसलें खराब हो जाती है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि सरकार की बाकी सारे कामों में कटौती करके सबसे पहले पानी का इंतजाम करना चाहिए और इस बात को न देखकर कि वहां से सरकारी पार्टी का मेम्बर आया है या कांग्रेस का मेम्बर आया है सिर्फ जनता की भलाई और देश को अन्न संकट से बचाने की बात ध्यान में रखकर किसानों को ज्यादा से ज्यादा पानी देने की तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरे

इलाके में चालिस-पचास गांव जमना की मार में आते हैं। अगर वहां बांध बनाया जाए तो वह पानी खेतों में आबपाशी के लिए काम आ सकता है और लोग बरबादी से बच सकते हैं। धनौरा इन्दरी और दूसरी छोटी-छोटी ड्रेने है जिनकी वजह से किसानों को भारी नुकसान होता है। अगर इस पानी को बांध बनाकर किसानों को दिया जाए तो उससे उनकी मदद हो सकती है। फिर हजारों की तादाद में ट्यूब-वैजल लगे हुए हैं लेकिन कनैक्शन नहीं मिलते हैं। बहुत से लोगों ने कर्जे लेकर ट्यूब-वैजल लगाए हुए हैं और वह ऐसे ही पड़े हैं। स्पीकर साहिब बजाए इसके कि सरकार मिनिस्ट्रों की बढौतरी करती जाय इसे खेती की बढौतरी करनी चाहिए। खेती की बढौतरी कैसे हो सकती है? वह तभी हो सकती है जब इसकी और संयुक्त दल की सरकार ध्यान दे। कई एक ऐसे इलाके हैं जहां पर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया जैसे कैथल, नरवाना या जींद का इलाका है जहां पर पानी की बहुत कमी है और आजकल की हालत को हम देखे तो वहां पर पशुओं का पीने के लिए भी पानी नहीं मितला है, उन गांवों की बहुत बुरी हालत है जब ऐसी हालत है तो सरकार को चाहिए कि वह ट्यूब-वैल लगायें। यदि ट्यूब-वैल नहीं लगा सकी तो वहां पर नहरों में पानी की बढौतरी होनी चाहिए, क्योंकि यह इलाका खेती के लिहाज से बहुत ही उपजाऊ इलाका है। यह इलाका उन्न की समस्या को हल करने में बहुत ही सकायक सिद्ध हो सकता है। यदि वहां पर सिंचाई के साधन जुटाएं जायें।

उसके अलावा जैसी मैंने आपसे प्रार्थना की है कि जहां नहरों का पानी नहीं मिलता वहां ट्यूब-वैल लगाये जाएं या ड्रेनज के पानी को सिचाई के काम में लाने के लिए ट्यूब-वैल लगाने की स्कीम है उसको चालू करें। क्योंकि यह ड्रेन वगैरह का पानी उसी इलाके को दिया जाये, इसका फायदा उसी इलाके को मिलना चाहिए जिससे वह गुजरती है जैसे रोहतक हिसार के इलाकों से गुजरती है तो उसका फायदा उन्हीं इलाकों के लोगों को मिलना चाहिए क्योंकि अब यह होता है कि बरसात के दिनों के बरबाद तो लोग वे हां और वही लोग नुकसान उठते हैं लेकिन फायदा उस पानी का दूसरे इलाके के लागे उठाते हैं। कांग्रेस सरकार ने यह फैसला किया था कि जहां जहां सरकारी ट्यूब-वैल या ड्रेन वाले ट्यूब-वैल लगाये जाएं उनका फायदा उन्हीं लोगों के खेतों को होना चाहिए जिन लोगों के खेतों से वह ड्रेनज गुजरती है उसेस उन लोगोँ को यह पानी मिला भी था और इसके नतीजे के तौर पर वहां जो पीछे साढ़ की फसल जो हुई थी वह बहुत अच्छी हुई थी।

अध्यक्ष जी, मैं आपका ज्यादा समय न लेती हुई सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि बाकी सब कामों को भूल कर सबसे पहले अन्न के संकट को दूर करने की कोशिश करें, और इसके लिए किसानों को पानी दें, उनको ट्यूबवैल के कनेक्शन दें, पानी अवश्य चाहे वह पानी नहर के जरिए से दें। जिन जिन इलाकों में पानी खराब हो जाता है, सड़ता रहता है और बरबाद

होता रहता है उसको बरबाद न होते दें, किसी न किसी प्रकार से वह किसानों तक अवश्य पहुंचाया जाये।

इसलिए मैं अन्त में यह कहती हूं कि सरकार मिनिस्टर बढ़ाते की बजाए किसानों की हालत को अच्छी करें।

ग्रामय विद्युतीकरण राज्यमंत्री(मेजर अमीर सिंह): अध्यक्ष जी, बिजली के सम्बन्ध में कुछ आनरेबल मेम्बरान ने आलोचना की है, मुझे इस बात को मानने में कोई भी गिला नहीं कि देहातों में बिजली सप्लाई करने में देर होती है जिसके कारण वहां पर लोगों को बहुत दिक्कत होती है। मेरे पास यह भी शिकायत मौजूद है और मैं अच्छी तरह से जानता भी हूं कि किसानों को खम्भे ले जाने के लिए मजबूर किया जाता है और वे अपने मतलब के लिए ले भी जाते हैं।

मुझे यह भी वाकफियत है कि किसानों की बिजली के कनेक्शन के लिए दरखास्ते तक भी नहीं ली जाती है। मुझे यह भी मालूम है कि जमीदारों को डिमांड नोटिस मुकर्र टाईम के अन्दर नहीं दिये जाते हैं, जब टाईम गुजर जाता है फिर भी बहुत देर से दिये जाते हैं। या जब तक उन लोगों की पूजा पैसे से नहीं की जाती तब तक वे कनेक्शन ही नहीं देते हैं और वे मारे मारे फिरते हैं उनको महीनों बल्कि सालों लग जाते हैं।

मुझे यह भी मालूम है कि तीन हार्स पावर की मोटर की जगह पांच हार्स पावर की मोटर खरीदवाते हैं और जहां सात की

लगती है वहां पर 10 की खरीदवाते है। जिन लोगों की कनेक्शन देने का नम्बर होता है और लिस्ट में जो सीनियर होते है उनकी अपेक्षा नीचे वालों को कनेक्शन दे दिया जाता है।

मुझे पता है कि किसानों को ट्यूबवैल के लिये रात का कनेक्शन दिया जाता है लेकिन नरात को किसानों को पानी देने में दिक्कतें ही नहीं होती बल्कि रात को आबपासी की ही नहीं जा सकती।

एक मेरे साथी ने शिकायत की कि उन्होंने कोल्ड स्टोरेज को रात को कनेक्शन दिया हुआ है। मुझे तो इसका पता नहीं, क्योंकि कोल्डस्टोरेज को दिन रात बिजली की आवश्यकता होती है। यदि गर्ग साहिब को किसी कोल्डस्टोरेज के बारे में मालूम है तो वे बतायें हम उसके खिलाफ अवश्य ही कार्यवाही करेंगे।

मैंने खुले रूप से हरियाण की खिदमत करने के लिये, वालंटियर रूप से इस पोर्टफोलियो को लिया है। स्पीकर साहिब, अगर इस डिपार्टमेंट के अन्दर इस बिजली के महकमें के अन्दर मैं जयरी परिवर्तन नहीं कर सकात तो मैं इस कुर्सी को छोड़ने के लिये हर हालत में तैयार हूंगा।

यह भी हरियाणा की खुशकिस्मती है कि हरियाणा के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के अन्दर जितने अफसर लगे हुए हैं उनका हंडरड परसेंट मुझे सहयोग मिलता है और उनकी काबलियत के

अन्दर मुझे कोई किसी किस्म का शक नहीं है। मुझे पूरा इत्मोनान है कि वह मेरे साथ जनता ने उम्मीद लगाई हुई है उसे सफल बनाने में मुझे पूरा सहयोग देंगे।

एक मजबूरी हमारी यह है कि भाखड़ा से जो लाइन आ रही है उस पर पूरी कपैसिटी से ज्यादा लोड है और बिजली लाईन हमारे हरियाण को ज्यादा बिजली सप्लाई लाने के लिये लुधियाना के रास्ता से हिसार को जानी थी उसका बनाने का आज नाम तक नहीं लिया जा रहा है और भाखड़ा में बिजली को जो पावर हाउस दायें किनारे चलाया जाने वाला है उसके लिये हम टाईम से पहले लाईन नहीं बना सकेंगे और उसके लिये हम सेंटरल गवर्नमेंट पर भी पूरा दबाव डाल रहे हैं। अगर हम इस लाईन को नहीं बनवा सके तो हम हरियाणा को नहीं आगे ले जा सकते अगर सेंटर वाले नहीं इतनी जल्दी बना सकते तो हमें दे, यह काम, मैं तम्बू लगाकर बैठ जाऊंगा और गिने दिनों में काम करके खत्म करके उठूंगा।

अब बिजली के कनेक्शन देने के लिये भी हमारी मुखतलिफ विचारधारा है। अब सोचना यह पड़ता है कि किन लोगों को पहले कनेक्शन दिया जाये, किन लोगों को दूसरा और तीसरा प्रैफरेस दिया जाये। मैं तो इस मत का हूँ कि सबसे पहले उन लोगों को कनेक्शन दिया जावे जिसके पास इरीगेशन जीरो है और दूसरी प्रायरिटी उन लोगों को दी जाये जो शैलो ट्यूबवैल लगाना चाहते हैं जहां पर वाटर लोडिंग है। थर्ड प्रायरिटी लोगों

को दी जाये जिनकी इरीगेशन की इनटैन्सिटी बहुत कम है यानि जिनकी 20 या 30 परसेंट जमीन को तो पानी मिलता है परन्तु बाकि जमीन पानी न मिलने की वजह से केकार पड़ी है लेकिन जमीन के नीचे मीठा पानी है। बाकि जो रैफ्रिजेटर लगाने के लिये किसी किरम की रोशनी करने और दूसरे धन्धे करने के लिये बिजली चाहेंगे इनको भी हम बिजली देंगे क्योंकि जब तक गांव में बिजली की रोशनी नहीं जाएगी तब तक लोगों के दिमाग का तवाजन ठीक नहीं हो सकता। परन्तु पहले पेट का इलाज होगा और उसके बाद दूसरा इलाज किया जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अपना स्थान लेता हूँ।

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहिब, सिर्फ पांच मिनट चाहिये।

श्री अध्यक्ष: नहीं समय नहीं है। अगर आप बोलने लग गए तो फिर और भी बोलना चाहेंगे। अब श्री मनीराम गोदारा जी बोलेंगे।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री: (श्री मनी राम गोदारा) : स्पीकर साहिब आपके सामने सिंचाई और बिजली की मांगों पर हाऊस ने अपनी राय दी। (शोर)

Mr. Speaker: No interruption, please.

सिंचाई तथा बिजली मंत्री: चौधरी रिजक राम जी ने आज भी और जनरल डिसक्शन के वक्त भी कुछ प्वायंट्स रखे जो वाकई गौर करने के काबिल हैं।

श्री ओम प्रकाश: स्पीकर साहिब कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष: गोदाड़ा साहिब, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। शायद आप माईक से दूर होकर बोल रहे हैं।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री: स्पीकर साहिब, चौधरी रिजक राम जी ने और दूसरे आनरेबल मैम्बरज ने जो प्वायंट्स रखे उनसे यह बात वाजेह है कि आप हरियाणा के अन्दर यहां के किसान को ज्यादा से ज्यादा पानी कैसे पहुंचाया जाए। यह आनरेबल मैम्बर साहिबान को शायद यह होगा कि जिस वक्त इस दल सरकार ने हलफ लिया था उस वक्त इसने यह वायदा भी किया था कि हर किसान तक पानी पहुंचाना इस सरकार की पहली ड्यूटी है। यह हमारा सबसे पहले प्वायंट है जिसका इस दल की सरकार ने सबसे पहले अपने दिमांग में सोचकर जनता के अन्दर एलान किया था। जो बातें हमारे सामने हैं उनसे इन्कार नहीं किया जा सकता। जब पंजाब के अन्दर हरियाणा था तो उस वक्त हरियाणा के हिस्से के मुताबिक इसे भाखड़ा का व्यास का पानी और बिजली मिलने में इन्साफ नहीं मिल रहा था। उसी तरह से वहां इरीगेशन में हुआ। जो रूपया हरियाणा के अन्दर इरीगेशन

पर खर्च होना चाहिये था वह किसी न किसी ढंग से स्कीमें बन जाने के बाद भी पंजाब के अन्दर खच्च हुआ और हरियाणा इसमें भी पिछड़ा रहा। मेरे साथी चौधरी रिजक राम ने बताया कि पंजाब के अन्दर कई जिले ऐसे हैं जैसे अमृतसर आदि जहां 88 फीसदी इरीगेशन हैं। वह बात ठीक है। वहां तो किसी भी जिले में 60 फीसदी और 70 फीसदी के कम इरीगेशन नहीं है, लेकिन हरियाणा में जैसा कि इन्होंने बताया कहीं 8 फीसदी कहीं 10 फीसदी और कहीं 11 फीसदी इरीगेशन है। यह बात ठीक है कि इरीगेशन के मामले में आज हमारा किसान और गांव का एक एक आदमी यह मांग करता है कि इरीगेशन में उसे इतनी सहूलियतें हों कि वह खुशहाल हो सके। स्पीकर साहिब, अपने रिसोर्सिज के मुताबिक हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अपने किसान को जितना ज्यादा से ज्यादा पानी दे सकें दें। इसी नाते से इस साल हमने जो पैसा रखा है उसको यदि आप देखें तो पता चलेगा कि पंजाब में सालाना जितना पैसा हरियाणा के लिये खर्च होता रहा उससे वह कहीं ज्यादा है। फिर, स्पीकर साहिब, चौधरी रिजक राम जी ने जो कहा कि किशाऊ और घग्गर डैमों में भी हरियाणा की शकल अच्छी नहीं। यह बात ठीक है इसमें एक बात है कि न तो सतलुज, न ब्यास और रावी दरिया हमारे पास हैं। हमारे यहां तो दो, दरिया हैं। एक घग्गर और दूसरा कांगड़ी का। इसमें बरसाती पानी जो आता है उसको यदि हम इन पर बांध बनाकर रोकें तो यह लोगों के खेतों तक पहुंचाया जा सकात है। बारह मासी स्कीम का बनाना तो हमारे लिये बड़ा मुश्किल है। किशाऊ डैम के

सवालों के जवाब में मैंने जवाब देते हुए अर्ज किया था कि इसमें हमारी कुछ मजबूरियां हैं। इस प्रोजैक्ट का सारा सिलसिला यू.पी. गवर्नमेंट के पास है। यह एक इंटरस्टेट स्कीम है। जब तक सारी स्टेट्स किसी बात पर सहमत न हो जाए तब तक एक स्टेट कुछ नहीं कर सकती। परन्तु फिर भी हरियाणा गवर्नमेंट इसके लिये हर तरीके से कोशिश कर रही है कि यह जल्दी से जल्दी बन जाए और बनने के बाद इससे उन इलाकों में जहां कि पानी की कमी है, जैसे भिवानी का इलाका है, गुडगांव है, दादरी के इलाके हैं, वहां पानी पहुंच सकें।

घग्घर डैम की बात कई सालों से चल रही है। अनरेबल मैम्बर श्री लाल सिंह जी ने तथा अम्बाला जिले के दूसरे मैम्बरों ने भी कहा कि इरीगेशन के सिलसिले के अन्दर अम्बाला की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में मैं मैम्बर साहिबान को बता देना चाहता हूं कि इस डैम के बारे में भी बात चल रही है और जब यह बनेगा तो इससे सबसे ज्यादा फायदा, यहां तक कि 85 परसेंट या इससे भी ज्यादा, अम्बाला जिला को होगा। इसमें वैसे फाइनेंश इम्प्लीकेशनज की रिसोर्सिज को बात इनवालव है परन्तु फिर भी मैं अम्बाला के साथियों को यकीन दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार इस सिलसिले में जरूर कदम उठाएगी। आज हमारे सामने एक दिक्कत है जिसका जिक्र कि चौ. रिजक राम जी ने भी किया। हमारे पास 1,87,00,000 एकड़ जमीन जो है इसमें से केवल 86-87 लाख एकड़ जमीन पर बिजाई होती है। बिजाई

वाली जमीन की भी यह पोजीशन है कि केवल 30 परसेंट इरीगेटिड एरिया है बाकी जमीन बारानी हैं। जमीन हमारी बहुत अच्छी है परन्तु सबसे बड़ी दिक्कत सिंचाई की ही है। सिंचाई का जहां तक सम्बन्ध है यह कुछ जमुना से होती है, कुछ ट्यूबवैल्ज से होती है और कुछ अन्य साधनों से होती है। सिंचाई तो और भी करें परन्तु फिर रिसार्सिज की बात आ जाती है। इसके लिये बहुत सरमाये की जरूरत है। इसकी हमारे पास कमी है। परन्तु यह सरकार अब सैन्ट्रल गवर्नमेंट और प्लानिंग कमिशन से ग्रांट लेने की कोशिश कर रही है और ट्यूबवैल्ज के जरिये पानी पहुंचाने की स्कीमें बनाई हैं। इसके अलावा हम मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजैक्ट्स, जैसे भाखड़ा और ब्यान, वैस्टर्न जमुना कैनाल और री-माडलिंग स्कीमों आदि के द्वारा अपनी इस बाकी रही 70 फीसदी जमीन को सींचने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा, दादरी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम और सोहाना लिफ्ट इरीगेशन स्कीमों को पूरा करने के लिये भी हमने प्रोवाइज इस साल रखा है। हमारे सामने जो भाखड़ा प्राजैक्ट, ब्यान प्राजैक्ट या दूसरे मल्टी पर्पज प्राजैक्ट हैं वे बोर्ड के तहत है। इनके अन्दर जो स्कीमें है वे सारी प्लैंड है। वैस्टर्न जमुना कैनाल और री-माडलिंग के लिये यह 75 लाख रूपया रखा गया है। वैस्टर्न जमुना कैनाल के लिए 50 लाख रूपया रखा गया है। दादरी के लिये 11 लाख रूपया और रिवाडी के लिये 10 लाख रूपया रखा गया है। ट्यूबवैल्ज के सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पहले 30 लाख रूपया हमारी प्लैन के अन्दर था, लेकिन हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर ने, हरियाणा प्रान्त की

जरूरत को महसूस करते हुए 38 लाख रुपया रखा। हालांकि खर्च बहुत टाईट है, बहुत मुश्किलता का सामना करना पड़ रहा है लेकिन फिर भी ट्यूबवैलज के लिये और ज्यादा रुपया दिया, जिसका मतलब है कुल मिलाकर 68 लाख रुपया ट्यूबवैलज के ऊपर इस साल खर्च कर रहे हैं।

ट्यूबवैलज के सिलसिले में, जैसा कि हमारे मेजर अमीर सिंह जी ने फरमाया, कि हमारे सामने बिजली को बड़ो डिफिकल्टीज हैं यह ठीक है, बिजली की डिफिकल्टी है, पैसे की डिफिकल्टी है। हरियाणा की निस्बत पंजाब में पानी बहुत है, लेकिन हरियाणा साइड में पानी बहुत कम है। हरियाणा के अन्दर कुछ बरेकिश वाटर है। हम यह महसूस करते है कि जितना पानी हमें मिलना चाहिए, जितना हतारा हिस्सा बनता है वह नहीं मिला। हरियाणा में बहुत सी जमीन बारानी है। 70 फीसदी जमीन को पानी नहीं मिलता। इसके अलावा पाकिस्तान को ब्यास नदी से पानी मिलता है। इस पानी पर हरियाणा का हक बनता है और यह हमें मिलता चाहिए। पंजाब में इस पानी से 66 फीसदी इरीगेशन होती है, और हरियाणा से 30 फीसदी जमीन की सिचाई मुश्किल से होती है। पंजाब में बारह मासी नहरें चलती हैं, इतना पानी है कि उनको तकलीफ नहीं होती। इसलिये हरियाणा क बारानी इलाकों को सामने रखते हुए, जो कुछ भी हमारा हिस्सा, पाकिस्तान के बटवारे के वक्त उन्हें दिया गया है, वह वापिस लेना

है। जो ब्यास डैम बन रहा है उस परन हरियाणा का क्लेम बनता है, वह भी हमें मिलना चाहिए।

गवर्नमेंट ने इस बात को समझा है और इस मामले को टेक-अप किया। फाइनेंस मिनिस्टर साहिब और आई.पी.एस. ने इस मामले को बड़े गौर से टेक अप कर लिया है और यह महसूस किया कि हरियाणा के साथ बढवारे के वक्त बेइन्साफी हुई है। हम सेंटर में कांग्रेस सरकार से यह मांग करते हैं कि हमारे साथ जो बेइन्साफियां हुई हैं उनको दूर करें। इस मामले में हरियाणा के कांग्रेसी भाइ मदद करें। जो कांग्रेसी भाई कहते हैं, मैं उसको मानता हूं। हरियाणा के साथ जो बेइन्साफी हुई, उसका क्या नतीजा होगा, यह वक्त बताएगा और जब भी हरियाणा के लोगों में ताकत होगी वह अपने हक में सेंटर गवर्नमेंट को मनवाने को बात करेंगे।

टयूबवैल्ज के मामले में, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि हमारे पास इतना कम रूपया है कि अपनी प्लान के मुताबिक केवल 1.2 करोड़ रूपये ही असके लिये रखा। पिछले साल सरकार ने इस बात की कुमिटमेंट की थी कि पांच हमार टयूबवैल्ज इनरजाइज करने हैं। लकिन 1 लाख 50 हजार से तो केवल तीन हजार टयूबवैल्ज ही लगते हैं। चूंकि पिछले साल तीन हजार टयूबवैल्ज लगे हैं लेकिन लोगों की जरूरियात बहुत ज्यादा है। यह उनकी जैन्विन डिमांड है। अगर उनको ही हम टाइट करते रहे तो हम आगे कैसे बढेंगे? इसलिये दल सरकार ने यह फेसला

किया है कि चूंकि पिछले साल 5 हजार ट्यूबवैल्ज लगे हैं जो कम हैं, इसलिये इस साल 7 हजार ट्यूबवैल्ज लगाने की तजवीज है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया(तालियां)

चौ. रिजक राम: पंजाब सरकार ने 16 हजार ट्यूबवैल्ज लगाने के लिए प्रोवीजन रखा है।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री: पंजाब वाले पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, हमने अपनी पोजीशन के मुताबिक करना है। स्पीकर साहिब, मैं बड़े फखर के साथ और अपनी पोजीशन को देखते हुए कह सकता हू कि 7 हजार ट्यूबवैल्ज लगाये जाने की जो बात है वह हमारे हौसले की बात है, यह काम और सरकार नहीं कर सकती थी

विकास मंत्री: हम 7 हजार कुएं खोद कर दिखा देंगे
..(हंसी) (Interruption)

Mr. Speaker : No interruption, please.

सिंचाई तथा बिजली मंत्री: स्पीकर साहिब, जैसा कि चौधरी रिजक राम जी ने बताया, मैं समझता हूं कि इरीगेशन साईड में इनका तजुरबा बहुत रहा है, जितना इरीगेशन के मुताबिक इन्हें पता है उतना मुझे नहीं। जो इन्होंने सजैशन दी हैं, जो तबवीजें दी, जो प्रोपोजलें रखीं और इसके अलावा जितने डिवलपमेंट के सिलसिलें में मैमोरेडम रखे हैं ये सारे के सारे हमारे

सामने हैं। उन तजवीजों पर हम अमल करेंगे और हरियाणा की जितनी ज्यादा से ज्यादा सेवा हो सके करेंगे।

इसके अलावा दूसरी नदियां, जो राजस्थान से हमारे इलाके में आती हैं, राजस्थान उनमें पानी नहीं आने देता, हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि हमारे यहां पानी आ सके। इस प्रयत्न में कोई लापरवाही नहीं की जाएगी। यह सरकार जागृत रहेगी। आपने जो नदी, भाखड़ा डैम, या ड्रेनेज के बारे में तजवीजें दील व सतलुज हरिया के पानी को यूटिलाइज करने के लिये कहा, मैं समझता हूं कि यह सरकार उसके मुताबिक कार्यवाही करेगी। हम जहां कहीं लिफ्ट इरीगेशन के जरिए वाटर पहुंच सकता है तो उसके लिये भी कोशिश करेंगे।

चौधरी साहिब ने बैटरमेंट लैबी की बात कही। मैं अगर कांग्रेस सरकार की कोई बात कहूंगा तो यह कहेंगे कि मैं भी तो उसमें शामिल था। उस वक्त भी कई तरह की रिपोर्ट तैयार की गई लेकिन रिपोर्टों को अमल में नहीं लाया गया। मुझे तो अफसोस यह है कि इनकी प्रैजिडेंटशिप में कुछ रिपोर्ट तैयार हुईं मगर कोई अमल नहीं हुआ और किसानों पर बैटरमेंट लैवी बराबर लगती रही। इस बात को सारा हाउस जानता है कि रिपोर्ट का मतलब यही था कि बैटरमेंट किसानों पर नहीं लगनी चाहिए।

हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिब ने तो वाटर रेट बढ़ाया था, उसका अर्थ यह होता कि बैटरमेंट लैवी कम हो जाती लेकिन

जनता की यह सरकार है इसलिये जनता के नुमायन्दों की ओर से जब यह प्रेशर पड़ा तो उन्होंने यह विदग्धा कर लिया। मैं इसके बावजूद भी यह यकीन दिलाता हूँ कि सारे फाइनेंसिज को मदेनजर रखते हुए इस बात की कोशिश करेंगे कि बैटरमेंट लैबी कि तरह से हटाएं। जनाब, अन्त में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे बोलने के लिये टाइम दिया।

Mr. Speaker: I will now put the various demands to the vote of the House.

Question is -

That a sum not exceeding Rs. 2,97,05,610 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of rs. 99,01,870 already voted on account) in respect of charges under hed 42-Multipurpose River Schemes.

After ascertaining the votes of the Members by voices, Mr. Sp[eaker said "I think the Ayes have it". This opinion ws challenged and division was claimed. Mr. Speaker, after calling upon those Members who were for. "Aye" and those who were for "No", respectively, to rise in their places and on a count having been taken, declared that the motion ws carried.

The motion was carried.

Mr. Speaker: I shall now put cut motion to Demand No. 27 to the vote of the House.

Question is -

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is -

That a sum a exceeding Rs. 1,92,91,470 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 64,30,000 already voted on account) in respect of charges under hed 43-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial).

44-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial).

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is -

That a sum not exceeding Rs. 82,49,820 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the yar 1967-68 (excluding the amount of Rs. 27,50,000 already voted on account) in respect of charges under head Charges on Irrigation Establishment.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now I will put the cut motion. to Demand No. 45 to the vote of the House.

Smt. Om Prabha Jain: I withdraw it.

Mr. Speaker: Is it the pleasure of the House that the cut motion be withdrawn?

(Voices: Yes, yes)

The motion by leave of the House withdrawn.

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 5,49,45,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 1,83,15,000 already voted on account) in respect of charges under head 98-Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceedings Rs. 2,56,00,080 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the yaear 1967-68 (excluding the amount of Rs. 77,00,000 already voted on account) in respect of charges under head 99-Capital Outlay or Irrigation, Naviation, Embankment and Drainage Works (Commercial).

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceedings Rs. 1,44,55,150 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the yaear 1967-68 (excluding the

amount of Rs. 48,85,050 already voted on account) in respect of charges under head 19-General Administration.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 79,99,210 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 19,83,020 already voted on account) in respect of charges under head 35-Industries.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 1,00,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 70,16,800 already voted on account) in respect of charges under head 96-Capital Outlay on Industrial and Economic Development.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 7,67,85,940 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 2,55,95,310 already voted on account) in respect of charges under head 28-Education.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the fuillotine will be applied, and all the remaining Demands will be put together to the vote of the House.

Question is -

That a sum not exceedings Rs. 53,91,940 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the yaear 1967-68 (excluding the amount of Rs.19,63,980 already voted on account) in respect of charges under head 9-Land Revenue.

That a sum not exceedings Rs. 4,61,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the yaear 1967-68 (excluding the amount of Rs. 1,53,800 already voted on account) in respect of charges under head 10-State Excise Duties.

That a sum not exceedings Rs. 2,09,720 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the yaear 1967-68 (excluding the amount of Rs. 69,900 already voted on account) in respect of charges under head 11-Taxes on Vehicles.

That a sum not exceedings Rs. 12,92,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the yaear 1967-68 (excluding the amount of Rs. 4,30,700 already voted on account) in respect of charges under head 12-Sales Tax.

That a sum not exceedings Rs. 11,00,250 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the yaear 1967-68 (excluding the

amount of Rs. 3,66,750 already voted on account) in respect of charges under head 13-Other Taxes and Duties.

That a sum not exceeding Rs. 2,52,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 84,000 already voted on account) in respect of charges under head 14-Stamps.

That a sum not exceeding Rs. 24,600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 8,000 already voted on account) in respect of charges under head 15-Registration.

That a sum not exceeding Rs. 13,97,070 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 4,65,690 already voted on account) in respect of charges under head 18-Parliament, State and Union Territory Legislatures.

That a sum not exceeding Rs. 23,12,800 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 7,71,000 already voted on account) in respect of charges under head 21-Administration of Justice.

That a sum not exceeding Rs. 27,35,400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 9,11,800 already voted on account) in respect of charges under head 22-Jails.

That a sum not exceeding Rs. 3,07,79,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 1,02,59,700 already voted on account) in respect of charges under head 23-Police.

That a sum not exceeding Rs. 2,16,510 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 54,180 already voted on account) in respect of charges under head 25-Supplies and Disposals.

That a sum not exceeding Rs. 15,03,330 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 5,00,830 already voted on account) in respect of charges under head 26-Miscellaneous Departments.

That a sum not exceeding Rs. 33,400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 11,130 already voted on account) in respect of charges under head 27-Scientific Departments.

That a sum not exceeding Rs. 1,69,28,300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 56,03,500 already voted on account) in respect of charges under head 29-Medical.

That a sum not exceeding Rs. 1,74,55,210 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the

amount of Rs. 58,18,400 already voted on account) in respect of charges under head 30-Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 2,39,56,600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 74,05,420 already voted on account) in respect of charges under head 31-Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 82,18,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 21,91,900 already voted on account) in respect of charges under head 33-Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 39,14,440 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 10,00,000 already voted on account) in respect of charges under head 34-Co-operation.

That a sum not exceeding Rs. 1,20,34,270 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 37,95,000 already voted on account) in respect of charges under head 37-Community Development Projects, N.E.S. and Local Development Works.

That a sum not exceeding Rs. 1,00,23,680 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 25,00,000 already voted on account) in respect of charges under head 38-Labour and Employment.

That a sum not exceeding Rs. 20,41,620 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 6,80,540 already voted on account) in respect of charges under head 39-Miscellaneous, Social and Development Organisations.

That a sum not exceeding Rs. 1,07,74,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 35,91,000 already voted on account) in respect of charges under head 50-Public Works.

That a sum not exceeding Rs. 43,22,220 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 14,40,740 already voted on account) in respect of charges under head Charges on Buildings and Roads Establishment.

That a sum not exceeding Rs. 1,10,67,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. _____ already voted on account) in respect of charges under head 52-Capital Outlay on Public Works.

That a sum not exceeding Rs. 2,30,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 77,63,700 already voted on account) in respect of charges under head 57-Road and Water Transport Schemes.

That a sum not exceeding Rs. 11,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. _____ already voted on account) in respect of charges under head 61-Capital Outlay on Rail Road Co-ordination Scheme.

That a sum not exceeding Rs. 30,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 10,00,000 already voted on account) in respect of charges under head 64-Famine Relief.

That a sum not exceeding Rs. 59,57,680 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 19,85,900 already voted on account) in respect of charges under head 65-Pensions and other Retirement Benefits.

That a sum not exceeding Rs. 30,660 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 10,200 already voted on account) in respect of charges under head 65-Privy Purses and Allowances to Indian Ruler.

That a sum not exceeding Rs. 27,43,570 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 9,14,530 already voted on account) in respect of charges under head 68-Stationery and Printing.

That a sum not exceeding Rs. 66,78,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 20,00,000 already voted on account) in respect of charges under head 70-Forests.

That a sum not exceeding Rs. 1,92,17,920 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 3,91,67,60 already voted on account) in respect of charges under head 71-Miscellaneous.

That a sum not exceeding Rs. 59,370 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 19,790 already voted on account) in respect of charges under head 76-Prepartition Payments.

That a sum not exceeding Rs. 3,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 1,000 already voted on account) in respect of charges under head 78-Prepartition Payments.

That a sum not exceeding Rs. 1,22,250 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 40,750 already voted on account) in respect of charges under head 78-A-Expenditure connected with national Emergency.

That a sum not exceeding Rs. 10,74,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the

course of payment for the yaear 1967-68 (excluding the amount of Rs. 3,58,000 already voted on account) in respect of charges under head 95-Capital Outlay on Schemes of Agricultural, Imporvement and Research.

That a sum not exceedings Rs. 3,80,84,300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the yaear 1967-68 (excluding the amount of Rs. 1,20,28,100 already voted on account) in respect of charges under head 103-Capital Outlay on Public Works.

That a sum not exceedings Rs. 75,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the yaear 1967-68 (excluding the amount of Rs. 25,000 already voted on account) in respect of charges under head 109-Capital Outlay on Other Works.

That a sum not exceedings Rs. 1,93,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the yaear 1967-68 (excluding the amount of Rs. 28,61,700 already voted on account) in respect of charges under head 114-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes.

That a sum not exceedings Rs. 44,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the yaear 1967-68 (excluding the amount of Rs. 14,970 already voted on account) in respect of charges under head 120-Payment of Commuted Value of Pensions.

That a sum not exceeding Rs. 23,90,77,860 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 7,96,92,620 already voted on account) in respect of charges under head 124-Capital Outlay on Schemes of Government Trading.

That a sum not exceeding Rs. 14,77,28,400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1967-68 (excluding the amount of Rs. 4,61,00,000 already voted on account) in respect of charges under head Loans to Local Funds and Private Parties and Loans to Government Servants.

The motions were carried.

Second sitting of Vidhan Sabha

मुख्यमंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहिब हिमांज सारी पास हो चुकी है और उन पर काफी बहस हो चुकी है। इसलिए एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलने के लिए कोई खास चीज बाकी नहीं, और न ही उस पर बोलने के लिए कोई तैयारी की जरूरत है। इसलिए मैं आपकी मारफत मूव करना चाहता हूँ कि आज ही हाउस की दूसरी सिटिंग 12-30 पर कर ली जाए क्योंकि हाउस की जनरल सेंस भी यही है।

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहिब मुख्यमंत्री साहिब ने जो तजवीज रखी है वह हाउस में आनी नहीं चाहिए थी क्योंकि कोई खतरे वाली बात तो है नहीं अब हमारे मुख्यमंत्री साहिब ने एशोरैस

दी थी दो रैजोल्यूशनज के मुतल्लिक कि वह इसी सैशन में लाए जाएंगे लेकिन आज ही वह दूसरी सिटिंग करवा कर हाउस को साइने—डाई एडजर्न करवाना चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वह अपने वादे से पीछे हट रहे हैं और उन रैजोल्यूशनज को नहीं लाना चाहते। उनकी जो हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग हुई थी उसको उन्हें निभाना चाहिए। जिस वक्त वह रैजोल्यूशनज विदड्रा किए थे ते मैंने बाबू मूलचन्द जो से स्पैसिफिकली दरयाफ्त किया था कि क्या वह इसी सैशन में आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि हां आ जाएंगे। वह रैजोल्यूशन इनको कल जरूर लाने चाहिए चाहे एक घंटा के लिए ही ले आए। दूसरा मेरा आबजैक्शन यह है कि बगैर पब्लिकेशन के यह एप्रोप्रियेशन बिल टेक—अप नहीं हो सकात और यह मामला वोट से डिसाईड होने वाला नहीं और यह स्पीकर के अपने अख्तियारात की बात है। आपने अपनी रूलिंग से फैसला देना है।

Finance Minister: Om A Point of order, Sir. The Hon. Chief Minister has moved that a second sitting of the House be held today. So, the point raised by the hon. Member is totally irrelevant and I request for a ruling by you thereon.

Ch. Rizaq Ram: That may be correct, but I am speaking with the permission of the Chair.

स्पीकर साहिब, यह बेरियेशन का क्वैश्चन नहीं है। वह एक बिल इंट्रोडयूस करना चाहते हैं जिसकी अभी पब्लिकेशन नहीं हुई। यह बगैर नोटिस के इंट्रोडयूस नहीं हो सकता। आप

ब-हैसियत स्पीकर वह फैसला दें जो रूल्ज के मुताबिक हो। लेकिन अगर उनके हक में इसलिए फैसला दे रहे हैं क्योंकि ट्रैजरी बैचिज वाले चाहते हैं तो वह मुनासिब न होगा। हमने तो यह सुना है कि चीफ मिनिस्टर या उनके रिप्रेजेंटेटिव ने यह मामला आपसे प्राइवेटली डिसकस किया और वह चीज जो वह चाहते थे आप यहां करना चाहते हैं। हम उसके खिलाफ प्रोटैस्ट करेंगे। आपको इम्पार्शल रहना चाहिए। लेकिन अगर ट्रैजरी बैचिज के साथ मिलकर आप कुछ करते हैं तो हम उसे हरगिज टालरेट नहीं करेंगे।

The procedure being adopted is most intolerable. The Speaker must act in an impartial way. That is very necessary.

रूल्ज के मुताबिक भी इस स्टेज पर एप्रोप्रिएशन बिल नहीं आ सकता। यह अगेन्स्ट रूल्ज है और इसमें कोई अख्तियार स्पीकर साहिब को भी नहीं है। न नोटिस है और न ही वह सर्कुलेट किया गया है।

श्री अध्यक्ष: सर्कुलेट अभी हो जाएगा।

चौ. रिजक राम: दूसरी बात यह है कि जब हमारी तरु से रैजोल्यूशन यहां पेश हुए तो गवर्नमेंट की एशोरेंस के बाद हमने को-आप्रेट किया और वह वापिस ले लिए। इसलिए अब ब्रीच आफ कान्फिडेंस इनको नहीं करना चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा था कि विशाल हरियाणा का रैजोल्यूशन आप नहीं लाना चाहते

... (शोर)..... क्योंकि आपके ऊपर धब्बा है। मेरी यह इत्तलाह है कि संयुक्त दल के बड़े नेता ने यह भी फैसला किया है कि हम विशाल हरियाणा की मांग को भी छोड़ देंगे।

बहुत सी आवाजें: गलत, बिल्कुल गलत कह रहे हैं।

Mr. Speaker: According to Rule 39 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, no variation in the allocation of Time order shall be made except on the request of the Leader of the House who shall notify orally to the House that there is general agreement for such variation and such variation shall be enforced by the Speaker after taking the sense of the House.

Voices: (From the Opposition): There is no general agreement, Sir.

Mr. Speaker: We will have to take the sense of the House in the matter.

उप मुख्यमंत्री: आन ए प्वायंट आर्डर, सर। क्या किसी मैम्बर को इस तरह खुली इजाजत दी जा सकती है कि वह स्पीकर के खिलाफ इनसिनुएशन करता जाए (शोर).....

चौ. रिजक राम: आप सारी बातें ही स्पीकर से नाजायज न कराओ। जब हम कोआप्रेट करने के लिए तैयार हैं तो स्पीकर की पोजीशन को क्यों आप खराब कर रहे हैं?

मुख्यमंत्री: आप आध घंटा की बजाए दो घंटे का गैप ले लें।

चौ. रिजक राम: इसमें घंटों की बात का सवाल नहीं है मैं अर्ज करना चाहती हूँ कि अगर ऐसी बात ही करनी थी तो स्पीकर और सी.एम. के लिए मुनासिब यह था कि वह अपोजीशन को कान्फिडेंस में लेते। लेकिन अगर आप इस तरह ब्रूट मैजारेटी के सहारे धींगा-मुश्ती करना चाहते हैं। तो यह गलत बात है और इस तरह आप निहायत गलत किस्म की कनवैशंज कायम करेंगे जोकि डैमोक्रेसी में नहीं चलती हैं

मुख्यमंत्री: आपको कान्फिडेंस में लिया हुआ है, पंडित जी से बात की हुई है.....(शोर).....

श्री जगवत दयाल शर्मा: बिल्कुल नहीं,..... (शोर)....
..... चांद राम जो अगर आप चुप रहे तभी बेहतर हैं (हंसी)
स्पीकर साहिब जहां तक आपकी बजुर्गी का और हरियाणा बनाने के लिए कुर्बानी देने का ताल्लुक है आपका हमें बड़ा सम्मान है क्योंकि आप ही पहले आदमी थे जब संत जो ने कहा था कि मैं जल मरूंगा, तो अकेले आपने कहा कि मेरे मरने के बाद मुझे लता देना (हंसी)(शोर)..... हमारे दिल में आपके लिए बड़ी इज्जत है और मैंने और मेरे साथियों ने हाउस का अदब और डैकोरम रखने के लिए और आपका अदब रखने के लिए आपके साथ कोआप्रेट करने की पूरी कोशिश की है : ** (शोर) **

Mr. Speaker: It is written in the Rule -

“and such variation shall be enforced by the Speaker.....” So, I cannot do anything in the matter.

श्रीबंसी लाल: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर,। मैं इस बात पर आपकी रूलिंग चाहता हूँ कि क्या कोई बिल पब्लिकेशन से पहले ओर सर्कुलेट करने से 24 घंटे पहले हाउस में लाया जा सकता है?

Mr. Speaker: It can be with my persmission.

Sh. Bansi Lal: There is no question of your permission. It is a question of Rules regulating the procedure of the House.

श्री अध्यक्ष: आप रूल 123 पढ़ लें।

श्री रणसिंह: आपने पढ़ कर सुनाया है कि हाउस में जनरल एग्रिमेंट से तो हो सकात है। तो मैं आपका रूलिंग इस बात पर चाहता हूँ कि जनरल एग्रिमेंट के क्या माने है? क्या यह जनरल एग्रिमेंट रूलिंग पार्टी और आपोजीशन का हो या अकेली सरकारी पार्टी का ही हो?

श्री अध्यक्ष: पार्टी का नहीं हाउस का।

श्री रण सिंह: लेकिन इसमें तो हाउस का कोई जनरल एग्रिमेंट नहीं हुआ सिर्फ सरकारी पार्टी वाले ही कह रहे हैं, हमारा कोई एग्रिमेंट नहीं..

चौ. रिजक राम: जनरल सैन्स तो सरकारी ओर आपोजीशन बैचों दोनों की होती है, अकेली सरकीर पार्टी की ही नहीं होती, जैसा कि आप कर रहे हैं।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री: चौ. रिजब राम और इनके दूसरे कांग्रेसी साथियों ने यह रवैया बना लिया है कि वह आपको दबा कर फैसला लेना चाहते हैं ****

सिंचाई तथा बिजली मंत्री: आपने जो रूलज के मुताबिक रूलिंग दे दिया वह शानदार है और इनको मानना चाहिए हां अगर यह जाना ही चाहते हैं तो let them go ।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: डेमोक्रेसी में आपोजीशन का एक ही अहम रोल होता है और आपोजीशन के राइटस को प्रोटैक्ट करने की जिम्मेदारी चेयर पर होती है। मैं मानती हूँ कि चेयर को बहुत ज्यादा पावर्ज है। ****

मैं आपसे अर्ज करूंगी कि आप हाउस की कार्यवाही डिगनिटी और डेकोरम के साथ चलाएं।

Ch. Debi Sing Twetia: Mr. Speaker, Sir, this question of the interpretation of this Rule is likely to come before the House again and again, So I would like to submit that this 'general agreement' does not mean a majority of the House. So far as I can consider it, it means almost unanimity or near unanimity of the House. Therefore, I would suggest you to kindly give your ruling after giving proper thought whether it means pure majority or unanimity in the House.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहिब, मैं हाउस के सामने एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां हमें सदन के नियमों के अनुसार चलना होता है। 12.00

noon लेकिन जहां पर नियम होते हैं कुछ कनवैन्शन भी होती है। इस हाउस के अन्दर कुछ ऐसे माननीय सदस्य भी हैं जो सन 1957 में भी थे। उन सदस्यों को याद होगा कि जब श्री प्रताप सिंह कैरा मुख्यमंत्री होते थे, मार्च के अन्त की बात है— श्री दलसिंह जो, आप उस वक्त नहीं थे—उन्होंने नान-स्टाप सेशन की एक सिटिंग चलाई थी जो सुबह नौ बजे से रात के 11 बजे तक चली थी। एक यह कनवेन्शन है। यहां पर भी दूसरी सिटिंग हो सकती है।

Mr. Speaker: The House is adjourned til 12.30 P.M. today. (The Sabha then adjourned till 12.30 p.m. on Wednesday, the 21st June, 1967).